Joint Committee's Reports in the matter of O.A. No. 163/ 2023 Sheikh Nizamuddin Vs State of MP & Ors.

W.r.t.

Hon'ble National Green Tribunal, (Central Bench) Bhopal

Order dated 07.11.2023

Date of Visit 14th December, 2023

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
(CENTRAL ZONAL BENCH) BHOPAL
Original Application No. 163 of 2023 (CZ)

In the matter of:-

Seikh Nizamuddin **Applicant (s)**

Versus

State of Madhya Pradesh & Ors. **Respondent(s)**

INDEX

स.क्र	विवरण	परिशिष्ठ	पृष्ठ क्रमांक
1.	शिकायतकर्ता शेख निजामुद्दीन निवासी ग्राम व पोस्ट दौराना, तहसील–राघौगढ़ जिला–गुना द्वारा म.प्र. के जिला गुना की राघौगढ़ के ग्राम–दौराना के फारेस्ट के कम्पार्टमेंट नं. पी 678 में पूरे पेड़ काटकर मकान बनाने एवं खेती करने बावत् मान.राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोनल बैंच भोपाल में की गई शिकायत की प्रति।	01	14-15
2.	मान.राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोनल बैंच भोपाल के प्रकरण कमांक 163/203 में पारित आदेश दिनांक 07.11.2023 की प्रति।	02	16-17
3.	निरीक्षण दौरान निरीक्षणकर्ता अधिकारियों एवं उनके साथ उपस्थित सहयोगी स्टाफ का उपस्थिति पत्रक ।	03	18
4.	ग्राम–दौराना के फोरेस्ट के कम्पार्टमेंट नं पी 678 में अवैध पेड़ कटाई पर वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही।	04	19-24
5.	ग्राम–दौराना के फोरेस्ट के कम्पार्टमेंट नं पी 678 में अतिक्रमण कर कृषि कार्य करने पर वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही।	05	25-38

6.	ग्राम–दौराना के फोरेस्ट के कम्पार्टमेंट नं पी 678 में अतिक्रमण कर कृषि कार्य करने वाले शेष अतिक्रमणकर्ताओ की पहचान उपरांत तैयार की गई सर्वे रिपोर्ट।	06	39-40
7.	अवैध रूप से वन भूमि पर प्रधानमंत्री आवास निर्माण पर वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही।	07	41-47
8.	वन भूमि में अवैध रूप से कुंये खोदने के संबंध में वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही।	08	48-50
9.	फोरेस्ट कम्पार्टमेंट नंबर पी 678 में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत जारी वन अधिकार पत्रों की सूची	09	51
10.	फोरेस्ट कम्पार्टमेंट नंबर पी 678 में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 में अधिसूचित निजी भूमियों की सूची	10	52-57
11.	भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 की अधिसूचना जारी होने के उपरांत भी वन खण्ड राघौगढ़ उत्तर के कम्पार्टमेंट नंबर पी 678 में जारी राजस्व पट्‌टो की सूची एवं उनके परीक्षण एवं तदोपरांत निरस्तगी की कार्यवाही हेतु कलेक्टर गुना को लेख किये गये पत्र	11	58-61
12.	ग्राम–दौराना के भामा बंजारा पुत्र जीया, मेघराज बंजारा पुत्र जीया एवं इनके परिवार द्वारा ग्राम–आंनदपुर (मोईया) में ग्राम–दौराना के मनीष लोधा से जमीन का एग्रीमेंट करके उस जमीन में पेड़ काटने एवं झुग्गी झोपड़िया बनाने के संबंध में की गई कार्यवाही	12	62-67
13	शिकायतकर्ता श्री शेख निजामुद्‌दीन के दिनांक 15.12.2023 को समिति के समक्ष उपस्थित होकर शिकायत एवं जॉच के बिन्दुओं के संबंध में जॉच समिति से चर्चा उपरांत प्रस्तुत लिखित पत्र।	13	68
14	निरीक्षण दौरान लिये गये छायाचित्र।	14	69-72

प्रस्तावना–

शेख निजामुद्दीन निवासी ग्राम व पोस्ट दौराना, तहसील–राघौगढ़ जिला–गुना द्वारा म.प्र. के जिला गुना की राघौगढ़ के ग्राम–दौराना के फारेस्ट के कम्पार्टमेंट नं. पी 678 में पूरे पेड़ काटकर मकान बनाने एवं खेती करने बावत् शिकायत मान.राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोनल बैंच रिसिप्ट नं. 783 दिनांक 13.10.2023 को प्रेषित की गई थी, जिसमें मुख्यतः वन विभाग की जमीन का अतिक्रमण करने, पेड़ों की कटाई, मकान बनाने, खेती करने संबंधी निम्न बिन्दुओं को लेकर शिकायत की गई थी, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

1. ग्राम–दौराना के फारेस्ट के कम्पार्टमेंट नं पी 678 सारे पेड़ काटकर खेती की जमीन बना दी गई है। प्रधानमंत्री आवास के मकान मेगा बंजारा पुत्र दीपक बंजारा ने मकान बना लिया है। विजय सिंह बंजारा ने कुंआ खोद लिया गया है।
2. इस रेंज की जमीन में कई बंजारे एवं भीलों ने अतिक्रमण करके खेती कर रहे है और मकान बना लिये है।
3. ग्राम–दौराना के ही भामा बंजारा पुत्र जीया, मेघराज बंजारा पुत्र जीया एवं इनके परिवार ने ग्राम–आनंदपुर (मोईया) में ग्राम–दौराना के मनीष लोधा से जमीन का एग्रीमेंट करके उस जमीन में सारे पेड़ काट दिये और मकान बना लिये।
4. इस प्रकार से वन भूमि का कई जगह अतिक्रमण किया जा रहा है। डिप्टी रेंजर सुरेन्द्र वशिष्ट, राघौगढ़ के रेंजर के.सी.अहीर को कई बार फोन कर बता दिया गया है कि जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। परंतु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। राघौगढ़ के फारेस्ट के कम्पार्ट नं. पी 678 एवं गुना जिले के समस्त वन विभाग पर अतिक्रमण एवं वन विभाग के वर्ष 1985 के पट्टों अतिक्रमण की रसीदे, जिराम, को निरस्त करके पेड़ लगाकर अतिक्रमणकर्ताओं से पूर्ण हर्जाने के साथ उस समय के जब अतिक्रमण हुआ जब कि फारेस्ट के अधिकारी/कर्मचारी पर भी वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा करें। यह जमीन एन. एफ.एल से 03 कि.मी.की दूरी पर है। अतिक्रमण वाली जमीन में पूरे सागौन के पेड़ थे।

<u>शिकायत की प्रति परिशिष्ठ–1 पर संलग्न है।</u>

मान.राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोनल बैंच भोपाल द्वारा उक्त शिकायत की सुनवाई दिनांक 07.11.2023 को की गई है, जिसमें निम्न अधिकारियों की संयुक्त जॉच समिति गठित की गई है :–

1. जिला कलेक्टर गुना का एक प्रतिनिधि।
2. वनमंडलाधिकारी गुना का प्रतिनिधि।
3. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि।

जॉच कमेटी को निर्देशित किया गया है कि तथ्यों की जॉच एवं एक्शन टेकन रिपोर्ट 06 सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करने तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समन्वय एवं लाजिस्टिक सपोर्ट हेतु नोडल एजेंसी बनाया गया है।

<u>मान.राष्ट्रीय हरित अधिकरण का आदेश दिनांक 07.11.2023 परिशिष्ठ–2 पर संलग्न है।</u>

दिनांक 14.12.2023 को संयुक्त जॉच दल जिसमें जिला कलेक्टर की ओर से उनकी प्रतिनिधि (1) रेणू कासलीवाल नायब तहसीलदार तहसील–मक्सूदनगढ़, जिला–गुना, वनमंडलाधिकारी जिला–गुना की ओर उनके प्रतिनिधि (2) श्री के.सी.अहीर रेंज ऑफिसर, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर क्षेत्रीय अधिकारी (3) श्री डी.व्ही.एस.जाटव द्वारा संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण किया गया। **निरीक्षण दौरान निरीक्षणकर्ता अधिकारियों एवं उनके साथ उपस्थित सहयोगी स्टाफ का उपस्थिति पत्रक परिशिष्ठ–3 पर संलग्न है।**

फोरेस्ट कम्पार्टमेंट नंबर पी 678 :–

वन कक्ष क्र. पी 678 का कुल क्षेत्रफल 398.55 हेक्टेयर है। जमीन पथरीली एवं मुरमी एवं ढलानी है तथा क्षेत्र का औसत छत्र घनत्व बिरल (0.4 से कम) है ।

निरीक्षण आब्जर्वेशन–

1. **शिकायत के बिन्दु :– ग्राम–दौराना के फोरेस्ट के कम्पार्टमेंट नं पी 678 मे सारे पेड़ काटकर खेती की जमीन बना दी गई है। प्रधानमंत्री आवास के मकान मेघा बंजारा पुत्र दीपक बंजारा ने मकान बना लिया है। विजय सिंह बंजारा ने कुंआ खोद लिया गया है।**

निरीक्षण तथ्य :–

वन कक्ष पी–678 में दिनांक 01.01.2021 से 30.11.2023 की अवधि में 64 पेड़ काटे गये है। उक्त वनकक्ष में वृक्षविहीन रिक्त क्षेत्र में रकवा लगभग 26.487 हेक्टेयर पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर खेती करना पाया गया। निर्माणाधीन 01 प्रधानमंत्री आवास मेघा उर्फ मेघराज पुत्र दीपा बंजारा द्वारा निर्माण किया जाना पाया गया है। वनभूमि में अवैध रूप से 02 कुंऐ खोदे हुये पाये गये।

वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही :–

64 पेड़ काटे जाने के विरूद्ध वन विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गई है।

क्र.	काटे गये पेडो की संख्या	जारी वन अपराध प्रकरण	रेंज केस नम्बर	आरोपी का नाम/पता	प्रकरण की स्थिति
01	02	03	04	05	06
01	25	34/17 17.02.2021	10/2021	01.कैलाश भील पुत्र लालजी भील निवासी गोविन्द्रपुरा मक्सूदनगढ़ 02.बाबूलाल पुत्र बुद्धा सहरिया निवासी नांनदेर राघौगढ़	प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, जिसका प्रकरण कमांक RCT 75/2022 है।
02	06	34/21 28.12.2021	73/2021	अज्ञात	प्रकरण अभिसंधानित किया जा चुका है।

03	09	34/27 24.05.2023	28/2023	अज्ञात	प्रकरण अभिसंधान की कार्यवाही प्रचलित है।
04	12	34/29 24.09.2023	51/2023	भामा पुत्र जिया बंजारा एवं अन्य 04 साथी निवासी दौराना	प्रकरण विवेचना में है।
05	12	34/32 23.11.2023	57/2023	अज्ञात	प्रकरण विवेचना में है।

<u>जानकारी परिशिष्ठ–4 पर संलग्न है।</u>

<u>**अवैध रूप से अतिक्रमण कर खेती करने के विरूद्ध वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही :–**</u>

13 लोगों के विरूद्ध वन भूमि मे अवैध रूप से वन भूमि पर अतिक्रमण कर कृषि कार्य करने के अपराध मे वन अपराध प्रकरणो की कायमी की गई है विवरण निम्नानुसार हैः–

प्र. स.	अतिक्रामक का नाम	पिता का नाम	जाति	अतिक्रमित स्थल का स्थानीय नाम	अतिक्रमित भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	पी.ओ.आर.		धारा 80 'अ' के तहत जारी नोटिस	
						क्रमांक	दिनांक	क्रमांक	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	इन्दर सिंह	मांगीलाल	बंजारा	बडा गड्डा दौराना	1.000	4797/04	18.11.2012	4700	02.02.2013
2	फूलसिंह	प्रथी	बंजारा	बडा गड्डा दौराना	1.800	4795/20	17.11.2012	4682	02.02.2013
3	विजय सिंह	प्रथी	बंजारा	बडा गड्डा दौराना	1.000	4795/22	17.11.2012	4686	02.02.2013
						34/31	03.11.2023	2004	30.11.2023
4	लाल सिंह	सरदार सिंह	बंजारा	बडा गड्डा दौराना	0.500	4797/03	18.11.2012	4698	02.02.2013
5	राम प्रसाद	गुलाब सिंह	भील	करोदा पठार	0.500	121/11	30.10.2012	4614	01.02.2013
6	हजारी	श्रतीराम	बंजारा	करोदा पठार	0.250	4797/09	19.11.2012	4710	02.02.2013
7	करण सिंह	पीरू	बंजारा	करोदा पठार	0.400	4797/08	19.11.2012	4708	02.02.2013
8	मेघराज	दीपा	बंजारा	करोदा पठार	0.007	34/30	29.09.2023	1992	31.10.2023
9	पप्पू	मांगीलाल	बंजारा	घोडा पछाड पठार	2.000	34/29	24.09.2023	1994	09.11.2023
	भामा	जिया	बंजारा					1996	09.11.2023
	मेघराज	जिया	बंजारा					1998	09.11.2023
	कजोड	धर्मा	बंजारा					2000	09.11.2023
	छेवीसिंह	मांगीलाल	बंजारा					2002	09.11.2023
					7.457				

<u>जानकारी परिशिष्ठ–05 पर संलग्न है।</u>

शेष अतिक्रमणकर्ताओ की पहचान कर ली गई है तथा उनके द्वारा अतिक्रमित भूमि का भी सर्वे कर लिया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	अतिकामक का नाम	पिता का नाम	जाति	अतिकमित स्थल का स्थानीय नाम	अतिकमित भूमि का क्षेत्रफल हेक्टे में
1	देवीसिंह	सरदार	बंजारा	बडा गड्डा दौराना	2.000
2	घासी	प्रथी	बंजारा	बडा गड्डा दौराना	2.000
3	अर्जुन	अमर सिंह	बंजारा	बडा गड्डा दौराना	1.200
4	विनोद	ळजारी	बंजारा	बडा गड्डा दौराना	0.450
5	धूरेलाल	धर्मा	बंजारा	करोदा पठार	0.500
6	फूल सिंह	करण सिंह	बंजारा	करोदा पठार	0.100
	जगदीश	फूल सिंह	बंजारा	करोदा पठार	0.150
	चैनसिंह	फूल सिंह	बंजारा	करोदा पठार	0.100
7	नारायण	दीपा	बंजारा	करोदा पठार	0.270
	विजयसिंह	नारायण	बंजारा	करोदा पठार	0.090
	कमल सिंह	नारायण	बंजारा	करोदा पठार	0.050
	राजू	नारायण	बंजारा	करोदा पठार	0.050
	रमेश	नारायण	बंजारा	करोदा पठार	0.040
8	मांगीलाल	गब्बा	बंजारा	करोदा पठार	0.300
9	चन्द्र प्रकाश	दुर्गालाल	बंजारा	करोदा पठार	0.200
10	घनश्याम	हीरालाल	बंजारा	करोदा पठार	0.140
	हीरालाल	धन्नालाल	बंजारा	करोदा पठार	0.120
11	नंदलाल	कमल सिंह	बंजारा	करोदा पठार	0.100
	जितेन्द्र	कमल सिंह	बंजारा	करोदा पठार	0.120
	रमेश	कमल सिंह	बंजारा	करोदा पठार	0.120
12	घासी	दीपा	बंजारा	करोदा पठार	0.170
	तोफान	घासी	बंजारा	करोदा पठार	0.170
	नाथू	दीपा	बंजारा	करोदा पठार	0.370
13	ग्यारसी	लक्ष्मण	भील	करोदा पठार	0.780
	मोहर सिंह	रामलाल	भील	करोदा पठार	0.500
14	इरशाउद्दीन	सलीमुउद्दीन	मुस्लिम	खैर वाली पठार	1.200
15	मांगीलाल	दीपा	बंजारा	खैर वाली पठार	0.350
	दुर्गा	मांगीलाल	बंजारा	खैर वाली पठार	
	मनीराम	मांगीलाल	बंजारा	खैर वाली पठार	
	चैनसिंह	मांगीलाल	बंजारा	खैर वाली पठार	
	लक्ष्मण	मांगीलाल	बंजारा	करोदा पठार	
	राजू	मांगीलाल	बंजारा	करोदा पठार	

16	मांगीलाल	गब्बा	बंजारा	खैर वाली पठार	0.160
	मुकेश	मांगीलाल	बंजारा	खैर वाली पठार	0.420
17	बापू	दीपा	बंजारा	खैर वाली पठार	0.110
	रमेश	दीपा	बंजारा	खैर वाली पठार	0.220
18	मांगीलाल	मानसिंह	बंजारा	खैर वाली पठार	0.550
	कालू	भाना	बंजारा	खैर वाली पठार	0.250
	उदम	पीरू	बंजारा	खैर वाली पठार	0.350
19	नन्नू	करण सिंह	बंजारा	करण सिंह की पठार	1.200
	गुड्डू	करण सिंह	बंजारा	करण सिंह की पठार	0.800
	बलराम	करण सिंह	बंजारा	करण सिंह की पठार	0.150
	मेघराज	करण सिंह	बंजारा	करण सिंह की पठार	0.170
	धूरेलाल	करण सिंह	बंजारा	करण सिंह की पठार	0.180
20	मांगीलाल		भील	करण सिंह की पठार	0.850
21	फूल सिंह	छोटेलाल	भील	करण सिंह की पठार	0.370
	चैनसिंह	छोटेलाल	भील	करण सिंह की पठार	0.320
	रमेश	छोटेलाल	भील	करण सिंह की पठार	0.350
22	रामबाबू	जालम सिंह	भील	करण सिंह की पठार	0.100
	महेश	जालम सिंह	भील	करण सिंह की पठार	0.050
	रामसिंह	जालम सिंह	भील	करण सिंह की पठार	0.170
23	चैनसिंह	मथुरालाल	भील	करण सिंह की पठार	0.080
	नैनकराम	मथुरालाल	भील	करण सिंह की पठार	0.070
	केशर	रामसिंह	भील	करण सिंह की पठार	0.400
	गजराज	केशर	भील	करण सिंह की पठार	0.070
योग :–					**19.030**

सर्वे रिपोर्ट परिशिष्ठ–06 पर संलग्न है।

प्रधानमंत्री आवास निर्माण के विरूद्ध वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही :–

अवैध रूप से वन भूमि पर प्रधानमंत्री आवास निर्माण के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 34/30 दिनांक 25.09.2023 पंजीबद्ध कर निर्माण कार्य रूकवाया गया एवं संबंधित अतिक्रमणकर्ता के विरूद्ध धारा 80अ नोटिस जारी किया गया है। वन परिक्षेत्र कार्यालय राघौगढ़ के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1340 दिनांक 29.09.2023 एवं पत्र क्रमांक 1429 दिनांक 10.10.2023 से उक्त आवास उक्त जगह से निरस्त कर स्थल परिवर्तन करने एवं वर्तमान जगह पर निर्माणाधीन आवास की आगामी किस्ते रोकने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राघौगढ़ को लेख किया गया। आगामी वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

जानकारी परिशिष्ठ –07 पर संलग्न है।

वन भूमि में अवैध रूप से कुंये खोदने के संबंध में वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही –

जिन अतिक्रमणकारियों द्वारा वनभूमि में अतिक्रमण कर कुंआ खोदने का अपराध किये गये है, उनके विरूद्ध निम्नानुसार वन अपराध प्रकरण पंजीबध्द कर संबंधित अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध धारा ८० ए नोटिस जारी किये गये है एवं आगामी वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

स. क्र	अतिक्रामक का नाम	पिता का नाम	जति	अतिक्रमित स्थल का स्थानीय नाम	अतिक्रमित भूमि का क्षेत्रफल हेक्टे.में	पी.ओ.आर.क्रमांक		धारा ८० 'अ' के नोटिस का	
						क्रमांक	दिनांक	क्रमांक	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	इन्दर सिंह	मांगीलाल	बंजारा	बडा गड्डा दौराना	1.000	4797/04	18.11.2012	4700	02.02. 13
2	विजय सिंह	प्रथी	बंजारा	बडा गड्डा दौराना	1.000	4795/22	17.11.2012	4686	02.02. 13
						34/31	03.11.2023	2004	30.11.23

जानकारी परिशिष्ठ–08 पर संलग्न है।

2. **इस रेंज की जमीन में कई बंजारे एवं भीलों ने अतिक्रमण करके खेती कर रहे है और मकान बना लिये है।**

निरीक्षण के दौरान पाये गये तथ्य –

वन भूमि पर बंजारे एवं भीलों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण करके खेती करना पाया गया, जिनका विवरण तथा एक्शन टेकन रिपोर्ट परिशिष्ठ–05 एवं 06 में दिया गया है। 08 लोगों को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार पत्र दिये गये है जिन पर उनके द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है। जिनकी जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्र.	वनाधिकारधारी का नाम	जति	वनाधिकार कोड क्रमांक	रकबा हेक्टेयर में
01	बलराम/रतनलाल	भील	170601483001	0.226
02	जगन्नाथ/रामसिंह	भील	149921900005	0.429
03	कैलाश/प्रभुलाल	सहरिया	149921900008	0.075
04	मदनलाल/रामसिंह	भील	149921900037	0.1138
05	मोहनसिंह/भवरलाल	भील	149922000001	0.5083
06	चम्पालाल/मोहनलाल	भील	149922000002	0.8981
07	रामबाबू/नाथूसिंह	भील	149922000003	0.4173
08	भरोसा/मोहरसिंह	भील	149922000008	0.876
			योग :–	**3.5435**

जानकारी परिशिष्ठ–09 पर संलग्न है।

इनके अतिरिक्त उक्त कम्पार्टमेंट में मौजा ग्राम–आनंदपुर (मोइया) में निम्नानुसार निजी भूमि जो कि भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 में अधिसूचित निजी भूमि है, भी शामिल है, जिनके भू–**स्वामी** मौके पर काबिज होकर खेती कर रहे है। विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	भू–स्वामी	खसरा क्रमांक	वनखण्ड में शामिल रकबा हेक्टेयर
01	इरशाद उद्दीन पुत्र शेख सलीम	02	0.241
02	इरशाद उद्दीन पुत्र शेख सलीम	03	0.209
03	प्रभूलाल पुत्र देवबक्स	21	1.046
04	विजय सिंह, अजीत सिंह पुत्रगण प्रेमनारायण, गायत्री बाई, कान्ता बाई पुत्रिया प्रेमनारायण	22	1.108
05	विजय सिंह, अजीत सिंह पुत्रगण प्रेमनारायण	23	0.418
06	दुर्गालाल पुत्र भबुतिराम, ओम प्रकाश, रतन सिंह, शिवराज सिंह पुत्रगण दुर्गालाल (परन्तु वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में इरशाद उद्दीन पुत्र शेख सलीम के नाम से दर्ज है।)	26	1.244
07	द्रोपदी पत्नि रामसिंह (परन्तु वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में राजकुमारी पत्नि वीरेन्द्र गौड के नाम से दर्ज है।)	30	0.565
08	प्रेम बाई/अमरचंद	19/1/2	1.254
09	बाबूलाल/मूलचंद	19/2	1.787
10	हुकुमचंद/किशनलाल	19/3	3.136
11	कल्लीबाई/उकांर	19/4/1	1.045
12	काशीबाई/बुद्दा	19/4/2	1.045
13	शंकरलाल/अमरलाल	19/4/3	1.045
14	द्रोपदी पत्नि रामसिंह (परन्तु वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में राजकुमारी पत्नि वीरेन्द्र गौड के नाम से दर्ज है।)	32	0.261
	योग :–		**14.404**

जानकारी परिशिष्ठ–10 पर संलग्न है।

राजस्व विभाग द्वारा उक्त कम्पार्टमेंट में निम्नानुसार पट्टे भारतीय वन अधिनियम की धारा 04 की अधिसूचना जारी होने के उपरांत भी दिये गये है, जिनके संबंध में उक्त पट्टे परीक्षण कर निरस्त किये जाने हेतु कलेक्टर गुना को लेख किया गया है। पट्टेदारों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	पट्टेदार	खसरा बटान क्रमांक	रकबा हेक्टेयर
01	महिला करीमनबाई/बेबा अजमेरी खां	24/2	02.0910
02	प्रीति/पप्पू तथा अन्य 03	24/3/1	0.8360
03	गब्बर सिंह/इमरतलाल तथा मोहरसिंह इमरतलाल	24/3/2	1.2540
04	इरशाउद्दीन/सलीमुउद्दीन	24/4	2.0900
05	हुकमचंद / किशनलाल	24/5	2.0910

06	इरशाउद्दीन/सलीमुउद्दीन	24/6/1	2.0900
07	इरशाउद्दीन/सलीमुउद्दीन	24/6/2	1.0450
08	मांगीलाल/जीवनलाल	24/7	2.0910
09	कलाबाई/नारायणसिंह	24/8/2	0.8360
10	शंकर/माधो	24/9	2.0900
11	इरशाउद्दीन/सलीमुउद्दीन	24/11	2.0910
12	इरशाउद्दीन/सलीमुउद्दीन	24/12	3.1350
13	मनीष लोधा/श्यामलाल लोधा तथा अन्य 08	24/15	2.0910
14	इरशाउद्दीन/सलीमुउद्दीन	24/17	2.0900
15	झूमाबाई बेबा बलराम दीवान सिंह, सूरजसिंह, गौरेलाल	24/18/1	1.0450
16	हीरालाल, चिरोजीलाल पुत्रगण भूरेलाल	24/18/2	3.1360
17	मानसिंह,दयालसिंह,घमण्डी,कल्याणसिंह पुत्रगण मांगीलाल, चिरोजीबाई वेवा	24/20	2.0900
18	इरशाउद्दीन/सलीमुउद्दीन	24/23	2.0900
19	राजेन्द्र कुमार/माधोलाल तथा अन्य 07	24/28/2	1.0450
20	संजय सुमन/कैलाश सुमन, कुलदीप/कैलाशचंद सैनी निवासी राघौगढ़	24/31/1	2.3520
21	लालचंद/हजारीलाल सैनी निवासी राघौगढ़	24/31/2	0.7840
22	ऊंकारलाल/सुन्दरलाल सैनी निवासी राघौगढ़	24/32	2.0900
23	वैजनाथ/कालूराम, कमलसिंह धीरजसिंह/मिश्रीलाल केदारबाई वत्तोबाई शीलाबाई विधाबाई पुत्री मिश्रीलाल दौलीबाई पुत्री कालूराम चम्पाबाई पुत्री कालूराम	24/33	3.1350
24	रतनलाल/भूरेंलाल	24/34/2	0.8360
25	करीमनबाई/पीर खां	24/38/1/1	1.7660
26	इकबाल हुसैन खां /अब्दुल खां	24/38/1/2	1.7670
27	महिला करीमनबाई /पीर खां	24/38/1/3	0.0210
28	मदीनाबाई बेवा अब्दुल इकबाल जाकिर शाविर पुत्रगण अब्दुल खां रहीसन बाई संगमाबाई सल्लोबाई नज्जो मीनाबाई सकीनाबाई पुत्रीया अब्दुल खां	24/38/2	1.672
29	ऊंकारीबाई/मोतीलाल	20/2	3.136
30	द्रोपतीबाई/रामसिंह	27/1	4.516
वनखण्ड राघौगढ़ उत्तर के कक्ष कमांक पी–678 में जारी राजस्व पट्टो का कुल क्षेत्रफल–			**57.402**

कलेक्टर गुना को पट्टों के परीक्षण एवं तदानुसार निरस्त करने हेतु लिखे गये पत्र <u>परिशिष्ठ–11</u> पर संलग्न है।

3. **ग्राम–दौराना के ही भामा बंजारा पुत्र जीया, मेघराज बंजारा पुत्र जीया एवं इनके परिवार ने ग्राम–आंनदपुर (मोईया) में ग्राम–दौराना के मनीष लोधा से जमीन का एग्रीमेंट करके उस जमीन में सारे पेड़ काट दिये और मकान बना लिये।**

निरीक्षण दौरान पाये गये तथ्य तथा एक्शन टेकन रिपोर्ट–

यह भूमि वृक्षविहीन थी तथा उक्त भूमि पर ग्राम–दौराना के मनीष लोधा एवं उसके परिवारजन का मौजा ग्राम आंनदपुर मोईया में राजस्व विभाग द्वारा जारी पट्टा खसरा कमांक 24/15 रकबा–2.091 हेक्टेयर पाया गया है। श्री मनीष लोधा एवं उनके परिवारजन द्वारा ग्राम–दौराना के भामा पुत्र जीया बंजारा, मेघराज पुत्र जीया, पप्पू पुत्र मांगीलाल, कजोड़ पुत्र धर्मा एवं देवीसिंह पुत्र मांगीलाल बंजारा को संबंधित पटवारी राजस्व दल से सीमांकन कराकर बिकी कर दिया जाकर कब्जा सौंप दिया जाना पाया गया है। उक्त पट्टे का भी परीक्षण करने एवं तदोपरांत निरस्तगी हेतु कलेक्टर महोदय, जिला गुना को लेख किया गया है। उक्त भूमि पर 12 नग पेड़ काटने तथा अतिक्रमण कर झुग्गी–झोपड़ियॉ बनाने के संबंध में वन अपराध प्रकरण कमांक 34/29 दिनांक 24.09.2023 पंजीबध्द कर धारा 80 ए के तहत् नोटिस जारी किये गये है।

जानकारी परिशिष्ठ–12 पर संलग्न है।

4. **इस प्रकार से वन भूमि का कई जगह अतिक्रमण किया जा रहा है। डिप्टी रेंजर सुरेन्द्र वशिष्ट, राघौगढ़ के रेंजर के.सी.अहीर को कई बार फोन कर बता दिया गया है कि जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। परंतु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। राघौगढ़ के फारेस्ट के कम्पार्टमेंट नं. पी 678 एवं गुना जिले के समस्त वन विभाग पर अतिक्रमण एवं वन विभाग के वर्ष 1985 के पट्टों अतिक्रमण की रसीदे, जिराम, को निरस्त करके पेड़ लगाकर अतिक्रमणकर्ताओं से पूर्ण हर्जाने के साथ उस समय के जब अतिक्रमण हुआ जब कि फारेस्ट के अधिकारी/कर्मचारी पर भी वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा करें। यह जमीन एन. एफ.एल से 03 कि.मी.की दूरी पर है। अतिक्रमण वाली जमीन में पूरे सागौन के पेड़ थे।**

निरीक्षण दौरान पाये गये तथ्य तथा एक्शन टेकन रिपोर्ट–

कम्पार्टमेंट नं. पी 678 में वन भूमि पर पाये गये अतिक्रमण एवं उसके संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण उपरोक्त कंडिका 01 में दिया गया है। वन विभाग के रेंजर एवं डिप्टी रेंजर द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी कंडिका 01–03 तक में दी गई है। वन भूमि पर दिये गये राजस्व पट्टों का परीक्षण कराकर निरस्त करने के संबंध में जानकारी कंडिका 3 में दी गई है। मेसर्स नेशनल फर्टिलाइजर लिमि. से उक्त उल्लेखित जमीन वृक्षविहीन होकर लगभग 08 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

अन्य जानकारी –

शिकायतकर्ता श्री शेख निजामुद्दीन दिनांक 14.12.2023 को किन्ही कारणों से जॉच समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके थे, इस कारण से दिनांक 15.12.2023 को समिति के समक्ष उपस्थित हुये। उनसे शिकायत एवं जॉच के बिन्दुओं के संबंध में चर्चा की गई। उनके द्वारा जॉच पर संतुष्टि व्यक्त की गई, जो परिशिष्ठ–13 पर संलग्न है।

निष्कर्षः-

अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु, पुनः अतिक्रमण होने से रोकने हेतु वन विभाग द्वारा वन अपराधियों के विरूध्द लगातार कार्यवाही एवं निगरानी की जाती रहती है।

15/12/2023

(के.सी.अहीर)
वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र राघौगढ़, जिला-गुना (म.प्र.)

(रेणू कासलीवाल)
नायब तहसीलदार
तहसील-मकसूदनगढ़, जिला-गुना (म.प्र)

(डी.व्ही.एस.जाट्व)
क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयपुर,
जिला-गुना (म.प्र)

15/12/2023
S.D.O. ...

3 Public grievance relating to cutting of trees of the forest

NGT, CZB, BHOPAL
Receipt No. -873.
Date : -13-10-2023

भारतीय जनता पार्टी मण्डल राधौगढ जिला गुना (म0प्र0)

शेख निजामउददीन (गुड्डू दौराना)
मण्डल उपाध्यक्ष
भाजपा

निवास- ग्राम व पोस्ट दौराना
तह0 राधौगढ जिला गुना (म0प्र0)
मो0 8770577454

प्रति,

दिनांक ~~18/09/2023~~ 3-10-23

मानननीय प्रधानमंत्री महोदय,
भारत सरकार नई दिल्ली

विषयः- म0प्र0 के जिला गुना के राधौगढ के ग्राम दौराना मे FOREST के COMPARTMENT NO. 678 मे पूरे पेड़ काट कर मकान बनाने एवं खेती करने बावत्।

सेवा मे,

विनम्र निवेदन है कि ग्राम दौराना के FOREST के COMPARTMENT NO. 678 सारे पेड़ काट कर खेती की जमीन बना दी गई है और इसी जमीन मे प्रधानमंत्री आवास के मकान मेगा बंजारा पुत्र दीपा बंजारा ने मकान बना लिया है और विजय सिंह बंजारा ने कुआं खोद लिया है। इस रेंज की जमीन मे कई बंजारे एवं भीलों ने अतिकमण करके खेती कर रहे है और मकान बना लिये है। ग्राम दौराना के ही भामा बंजारा पुत्र जीया, मेंघराज बंजारा पुत्र जिया एवं इनके परिवार ने ग्राम अनंदपुर (मोइया) मे ग्राम दौराना के मनीष लोधा से जमीन का एग्रीमेन्ट करके उस जमीन मे सारे पेड़ काट दिये और मकान बना लिये। इस प्रकार से वन भूमि का कई जगह अतिकमण किया जा रहा है। परन्तु डिप्टी रेन्जर सुरेन्द्र वशिष्ठ मो0 7974150498, राधौगढ के रेंजर के0सी0 अहीर मो0 9424794713 को कई बार फोन पर बता दिया गया कि रेंज की जमीन पर अतिकमण किया जा रहा है। परन्तु आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की गई है।

अतः माननीय से निवेदन है कि राधौगढ के FOREST के COMPARTMENT NO. 678 एवं गुना जिले के समस्त वन विभाग पर अतिकमण एवं वन विभाग के वर्ष 1985 के पट्टों अतिकमण की रसीदें जिराम, को निरस्त करके पेड़ लगाकर अतिकमणकर्ताओं से पूर्ण हर्जाने के साथ उस समय के जब अतिक्रमण हुआ जब कि FOREST के अधिकारी/कर्मचारी अमले पर भी वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा करे। यह जमीन National Highway से 3 KM की दूरी पर है। अतिक्रमण वाली जमीन में पूरे सागौन के पेड़ थे। N.F.L., GAIL इस जमीन के पास ही है।

Nizam
प्रार्थी

शेख निजामउददीन (गुड्डू दौराना)
मण्डल उपाध्यक्ष

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ

01. महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार नई दिल्ली।
02. केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली।
03. केन्द्रीय मंत्री महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारत सरकार नई दिल्ली।
04. राष्ट्रीय एन जी टी विभाग भारत सरकार नई दिल्ली।
05. माननीय मुख्य मंत्री महोदय राज्य सरकार म0प्र0 शासन भोपाल।
06. माननीय वन मंत्री महोदय राज्य सरकार म0प्र0 शासन भोपाल।
07. राज्य एन0जी0टी विभाग राज्य सरकार म0प्र0 शासन भोपाल। Nizu
08. माननीय ग्रामीण पंचायत मंत्री महोदय राज्य सरकार म0प्र0 शासन भोपाल।
09. माननीय प्रभारी मंत्री महोदय जिला गुना म0प्र0 शासन।
10. श्रीमान सी0एफ महोदय जिला गुना म0प्र0
11. श्री के.सी अहीर साहब रेंजर महोदय राधौगढ जिला गुना म0प्र0

Nizu
प्रार्थी

शेख निजामउददीन (गुड्डू दौराना)
मण्डल उपाध्यक्ष
भाजपा ..

Item No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
(Through Video Conferencing)

Original Application No.163/2023(CZ)

Sheikh Nizamuddin Applicant(s)

Vs.

State Of Madhya Pradesh & Ors. Respondent(s)

Date of Hearing: **07.11.2023**

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

For Applicant(s): None

For Respondent(s) : None

ORDER

1. Issue raised in this application is violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and encroachment on the forest land in compartment no. 678 of forest of Radhogarh Teshil and District Guna (M.P.). It is alleged that some persons have by way of encroaching the land converted it for personal use in violation of environmental rules.
2. A substantial issue of environmental has been raised. Issue notice to the respondents. Returnable within four weeks.
3. Applicant/Registry is directed to take necessary steps for service to the respondents by both ways and also on available email.
4. Respondents are directed to submit their reply/counter affidavit through E-filing portal, preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF, before the next date of listing.
5. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:

   (i) One Representative of District Collector, Guna (M.P.)
   (ii) One Representative of DFO(Forest) District Guna, (M.P.)
   (iii) One Representative of State Pollution Control Board, (M.P.)

6. The Committee is directed to submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.
7. Applicant is directed to supply the required documents and copy of the application to the committee and the respondents within a week and after compliance of service, the Applicant has to submit an affidavit that notices and copy of the application have been served upon the committee and respondents.
8. The report in the matter be filed by the Committee by email at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List it on **19th January, 2024.**

Sheo Kumar Singh, JM

Dr. A Senthil Vel, EM

7th November, 2023
O.A. No. 163/2023 (CZ)
K

मान.राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेंट्रल जोनल बैंच भोपाल के प्रकरण कमांक ओ.ए. 163/2023 शेख निजामउद्दीन विरूध्द म.प्र.शासन व अन्य में गठित जॉच समिति द्वारा जॉच दौरान का उपस्थिति प्रतिवेदन।

निरीक्षण दिनांक– 14.12.2023

कमांक.	अधिकारियों का नाम व पदनाम	विभाग का नाम	मोबाइल नं. /ईमेल	हस्ताक्षर
1.	रेणु झाँसलीवाल, नायब तहसीलदार मकसूदनगढ़ गुना	राजस्व विभाग	8305959277	14/12/2023
2.	के.सी. अहीर वन परिक्षेत्र अधिकारी राघौगढ़	वन विभाग	9424794713	14/12/2023
3.	डी.व्ही. एस. जाटव क्षेत्रीय अधिकारी	म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयपुर तह. राघौगढ़ जि. गुना	9827332693	
4.	Dushi एस.पी. वरिष्ठ	वन विभाग	9425467092	एस.पी. वरि150 Dushi
5.	Munesh Rao वनरक्षक	वनविभाग	9770269493	
6.	राजेश धाकड़ का.वी. वनपाल	वनविभाग	9630237566	Rajesh
7.	आर० 120 नरेश	पुलिस विभाग	9589609993	
	आर. 185 चन्द्रभानसिंह	पुलिस विभाग	934361872	Chandrabhan
8.	Shaikh NIZAMUDDIN	शिकायतकर्ता	8770577454	Nizam

Annexure - 4

(4)

Civil Court Raghogarh

Case Details

Case Type	: RCT - REGULAR CRIMINAL TRIAL	
Filing Number	: 231/2022	Filing Date: 21-03-2022
Registration Number	: 75/2022	Registration Date: 21-03-2022
CNR Number	**: MP0805-000266-2022**	

Case Status

First Hearing Date	: 12th July 2022
Next Hearing Date	: 08th January 2024
Case Stage	: Matter Relating to Recording of Evidence in Criminal Matter
Court Number and Judge	: 2-I Civil Judge Class-II

Petitioner and Advocate

1) Forest Department Raghogarh
Advocate- ADPO

Respondent and Advocate

1) Kailash Bheel
Advocate - Ram Dinesh Meena

2) Babulal Sehriya

Acts

Under Act(s)	Under Section(s)
Indian Penal Code 1860	33(1)A
Vanya Prani Sanrakchan Adhiniyam 972	2(16)C,9,51(1)

FIR Details

Police Station	: RAGHOGARH
FIR Number	: 34
Year	: 2017

Case History

Registration Number	Judge	Business on Date	Hearing Date	Purpose of Hearing
75/2022	Civil Judge Class-I		28-10-2022	Argument before Charge / Charge
75/2022	Civil Judge Class-I		16-02-2023	Matter Relating to Recording of Evidence in Criminal Matter
75/2022	Civil Judge Class-I		05-06-2023	Matter Relating to Recording of Evidence in Criminal Matter
75/2022	Civil Judge Class-I		20-09-2023	Matter Relating to Recording of Evidence in Criminal Matter
75/2022	Civil Judge Class-I		08-01-2024	Matter Relating to Recording of Evidence in Criminal Matter

Case Transfer Details within Establishment

Registration Number	Transfer Date	From Court Number and Judge	To Court Number and Judge
75/2022	31-10-2023	1 - Civil Judge Class-I	2 - I Civil Judge Class-II

08/12/2023

रेंज ऑफिसर अधिकारी
राघोगढ़ (गुना)

२(01-17
2021

IX-(a)—2
For. Hindi

(भाग पहिला)

मोहकमा जंगल, मध्यप्रदेश

34

बकुआ जुर्म की अव्वल रिपोर्ट

1. नम्बर रिपोर्ट 34/17 तारीख 17/02/2021 माह सन् 20 ई.

2. मुजरिम का नाम, जाति और सकूनत ① कैलाश S/o मालजी भील उम्र 65 वर्ष नि. गोविन्दपुरा ② बाबूलाल S/o बुद्धा सहरिया उम्र 60 वर्ष नि. राघोगढ़

3. किस्म जुर्म भा०वन अधि० 1927 की धारा 33(1)क तथा व०प्रा० (संरक्षण) अधि० 1972 की धारा 2(16)C, 9, 51(1)

4. जगह जहां जुर्म वाकै हुआ बीट पगारा कक्ष क्र० P678 रुठियाई

5. तारीख बकुआ जुर्म 17/02/2021
सा० 15 छ० सतरूखा 10 छ० योग 25 छ० जलाऊ

6. तफसील जप्त शुदा माल और कार्यवाही, जो अमल में लाई गई।
लकड़ी ½ चट्टा 02 नष्ट घोसले 02 नग कुल्हाड़ी

7. नाम गवाहान ① नवलकिशोर सैनी बीट मदौली
② मदनलाल वासी नि. पगारा

दूसरा भाग रेंज.असिस्टेन्ट साहब रुठियाई सर्किल को भेजा गया

तीसरा भाग रेंज आफिसर साहब राघोगढ़ रेंज को भेजा गया

मुकाम पगारा

दस्तखत फॉरेस्ट गार्ड B.L. Patelya

तारीख 17/02/2021 नाका पगारा

नोट : यह रिपोर्ट जुर्म मालूम होने के 48 घंटे के अंदर बमूजिब पैरा 77 (अ) (3) फारेस्ट मैनुअल भाग 1 के अपने आला आफिसर के पास भेज दी जानी चाहिए।

POR 73/2021

IX-(a)—2
For. Hindi

(भाग पहिला)

मोहक्मा जंगल, मध्यप्रदेश

34

21

बकुआ जुर्म की अब्वल रिपोर्ट

1. नम्बर रिपोर्ट 34/21 तारीख 28/12/2021 माह सन् 20 ई.
2. मुजरिम का नाम, ज्ञाति और सकूनत अज्ञात
3. किस्म जुर्म भा०व० अधि० 1927 की धारा 33(i) बीट-चौकिंग
4. जगह जहां जुर्म वाकै हुआ बीट पगारा कक्ष क्र० P678
5. तारीख बकुआ जुर्म 28/12/2021
6. तफसील जप्त सुदा माल और कार्यवाही, जो अमल में लाई गई। सागौन 06 ठूंठ, बल्ली 06 नग 0.065 घ.मी. -10990/- 1450/-
7. नाम गवाहान ① मदनलाल वाल्मीकी नि. पगारा ② रामबाबू यादव नि. पगारा

दूसरा भाग रेंज असिस्टेन्ट साहब राठियाई सर्किल को भेजा गया

तीसरा भाग रेंज आफिसर साहब राघोगढ़ रेंज को भेजा गया

मुकाम पगारा दस्तखत फारेस्ट गार्ड B.L. Patchy

तारीख 28/12/2021 नाका पगारा

नोट : यह रिपोर्ट जुर्म मालूम होने के 48 घंटे के अंदर बमूजिब पैरा 77 (अ) (3) फारेस्ट मैनुअल भाग 1 के अपने आला आफिसर के पास भेज दी जानी चाहिए।

P.O.R. 28
2023

IX-(a)—2
For. Hindi

(भाग पहिला)

34 मोहक्मा जंगल, मध्यप्रदेश

बकुआ जुर्म की अब्वल रिपोर्ट 27

1. नम्बर रिपोर्ट 34/27 तारीख 24/05/2023 माह ...... सन् 20 ई.

2. मुजरिम का नाम, जाति और सकूनत अज्ञात

3. किस्म जुर्म भा०व० अधि० 1927 की धारा 33(1) क कटाई (बीट-चौकिंग)

4. जगह जहां जुर्म वाकै हुआ बीट पगारा कक्ष क्र. P678 गुबरिया

5. तारीख बकुआ जुर्म ताजा दि० 24-5-2023

सागवान 03 ट० सलई-06 ट० 1500 मूल्य

6. तफसील जप्त शुदा माल और कार्यवाही, जो अमल में लाई गई। जलाऊ 01 चट्टा, 2310 मूल्य

7. नाम गवाहान मदनलाल वास्त्री नि० पगारा

(2) रामबाबू यादव नि. पगारा

दूसरा भाग रेंज असिस्टेन्ट साहब RA रुठियाई सर्किल को भेजा गया

तीसरा भाग रेंज आफिसर साहब राघोगढ़ रेंज को भेजा गया

मुकाम पगारा दस्तखत फॉरेस्ट गार्ड
B.L. Patelya

तारीख 24/05/2023 नाका पगारा

नोट : यह रिपोर्ट जुर्म मालूम होने के 48 घंटे के अंदर बमूजिब पैरा 77 (अ) (3) फारेस्ट मैनुअल भाग 1 के अपने आला आफिसर के पास भेज दी जानी चाहिए।

IX-(a)-2
For. Hindi

(भाग पहिला)

मोहक्मा जंगल, मध्यप्रदेश

34

बकुआ जुर्म की अब्वल रिपोर्ट

29

1. नम्बर रिपोर्ट 34/29 तारीख 24 माह 09 सन् 2023.
2. मुजरिम का नाम, जाति और सकूनत भागा भांजिया बंजारा एवं अन्य 04 साथी निवासी दौराना
3. किस्म जुर्म भा० व० अ० 1927 की धारा 33(1)क एवं 31(1) अ
4. जगह जहां जुर्म वाके हुआ बीट पजारा कक्ष P-678
5. तारीख बकुआ जुर्म 24/09/2023
सत० ह० 07 बी 420
साग० ह० 05
6. तफसील जप्त शुदा माल और कार्यवाही, जो अमल में लाई गई।
01 चट्टा जलाऊ 2.000 हेक्ट० क्षेत्र में अतिक्रमण
7. नाम गवाहान
(1) श्री अभिमन्यु बीट प्रभारी का० व०
(2) मदनसिंह ... (व०) चौकी

दूसरा भाग रेंज असिस्टेन्ट साहब ... सर्किल को भेजा गया

तीसरा भाग रेंज आफिसर साहब ... रेंज को भेजा गया

मुकाम बीट पजारा

दस्तखत फॉरेस्ट गार्ड

तारीख 24/9/2023 नाका पजारा

नोट : यह रिपोर्ट जुर्म मालूम होने के 48 घंटे के अंदर बमूजिब पैरा 77 (अ) (3) फारेस्ट मैनुअल, भाग 1 के अपने आला आफिसर के पास भेज दी जानी चाहिए।

बीट चेकिंग
उ०व०म०क्ष० मेहे बीनागंज 12

IX-(a)—2
For. Hindi

(भाग पहिला)

POR 57/2023

मोहक्मा जंगल, मध्यप्रदेश

34

बकुआ जुर्म की अव्वल रिपोर्ट

1. नम्बर रिपोर्ट 34/32 तारीख 23 माह 11 सन् 23 ई.
2. मुजरिम का नाम, जाति और सकूनत अज्ञात
3. किस्म जुर्म भा. व. अ. 1927 की धारा 33(1) क कटाई (बीट चेकिंग) 3.00 बजे दिन
4. जगह जहां जुर्म वाकै हुआ बीट पगारा कक्ष क्र० P677, P678
5. तारीख बकुआ जुर्म 23/11/2023
6. तफसील जप्त शुदा माल और कार्यवाही, जो अमल में लाई गई। 12 साठा हुड मूल्य 1610/- 08 नग ...
0.100 घ.मी. मूल्य 22...
7. नाम गवाहान (1) संजीव पलिया वनरक्षक
(2) रामबाबू ...

दूसरा भाग रेंज असिस्टेन्ट साहब R.A. ... कठियाई सर्किल को भेजा गया

तीसरा भाग रेंज आफिसर साहब राघोगढ़ रेंज को भेजा गया

मुकाम पगारा दस्तखत फारेस्ट गार्ड

तारीख 23/11/23 नाका पगारा

नोट : यह रिपोर्ट जुर्म मालूम होने के 48 घंटे के अंदर बमूजिब पैरा 77 (अ) (3) फारेस्ट मैनुअल भाग 1 के अपने आला आफिसर के पास भेज दी जानी चाहिए।

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

क्रमांक /मा.चि. /2004

गुना , दिनांक 28.11.2023

नोटिस

श्री विजय सिंह पुत्र श्री प्रथ्वी जाति बंजारा

निवासी ग्राम बोरखेड़ा तहसील राघौगढ़ जिला गुना (म.प्र.)

द्वारा :- वन परिक्षेत्राधिकारी राघौगढ़

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/31 दिनांक 03/11/23 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड उत्तर राघौगढ़ के प्रकोष्ठ क्रमांक P678 में 1.000 हे. वनभूमि पर अनाधिकृत रुप से कब्जा किया है / अनाधिकृत कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म.प्र. राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9 /1965) की धारा 80 'अ' के तहत म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 5322/ X / 67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वनभूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने /बनाये रखने हेतु क्यों न :-

(1) आपके विरुद्व वेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।

(2) वनभूमि पर अनाधिकृत रुप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति / खडी की गई फसल अधिहरण कर ली जावें।

(3) वन भूमि पर अनाधिकृत रुप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमि को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यो का खर्च भा.व.अ. 1927 (म.प्र. राज्य संशो. अधि. 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

पृ.क्रमांक / मा.चि./2005

गुना, दिनांक / 30.11.2023

प्रतिलिपिः-

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी राघौगढ़ की ओर उनके पत्र क्रमांक.......... दि.......... से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/31 दि 03/11/23 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री विजय सिंह पुत्र श्री प्रथ्वी बंजारा को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रामक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रामक द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्व बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही करें। (संलग्न नोटिस- दो प्रति में)

2. उप वनमण्डलाधिकारी गुना /बमोरी/ बीनागंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, गुना म.प्र.

क्रमांक/मा.चि./ **नोटिस** गुना, दिनांक

श्री.......विजय सिंह.......पुत्र श्री.......मुन्नी.......

जाति.......प्रजापति.......निवासी ग्राम.......ऊर्री.......तहसील.......राघौगढ़.......जिला गुना म.प्र.

द्वारा:—वनपरिक्षेत्राधिकारी.......राघौगढ़.......

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 4795/22 दिनांक 17-11-12 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड.......के प्रकोष्ठ क्रमांक P-678 में 1.000 हे.वनभूमी पर अनाधिकृ तरुप से कब्जा.......किया है/अनाधिकृत रुप से कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म. प्र.राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9/1965 की धारा 80 अ के तहत म.प्र. शासन वनविभाग की अधिसूचना क्रमांक/5322/X/67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वन भूमी पर अनाधिकृत कब्जा करने/बनाये रखने हेतू क्यों न :—

(1) आपके विरुद्ध बेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।

(2) वन भूमी पर अनादिकृ त रुप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति/खडी की गई फ सल अधिग्रहण कर ली जावे।

(3) वन भूमी पर अनाधिकृ त रुप से खडी फ सल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमी को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यों का खर्च आपसे भा.व.अ.1927(म. प्र.राज्य संशोधन अधिनियम 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीहटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल, गुना (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 4687 गुना, दिनांक/ 2.2.13

प्रतिलिपि

(1) वनपरिक्षेत्राधिकारी.......राघौगढ़.......की ओर उसके पत्र क्रमांक 2803 दि. 17/12/12 से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 4795/22 दि. 17-11-12 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री.......विजय सिंह.......पुत्र श्री.......मुन्नी.......को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रामक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रामक द्वारा अपना अतिक्रमण नही हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नही दिया जाता है तो उसके विरुद्ध बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही प्रस्तावित करें। (संलग्न नोटिस —दो प्रति में)

(2) उप वनमंडलाधिकारी गुना/बीनागंज/बमौरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू।

नोटिस मेरे द्वारा अमालिया
[illegible]
[illegible]
वीर पवार

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल, गुना (म.प्र.)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, गुना म.प्र.

क्रमांक/मा.चि./

नोटिस

गुना, दिनांक

श्री......कमलसिंह......पुत्र श्री......धीरू......

जाति......बंजारा......निवासी ग्राम......करोंदीवाला......तहसील......राघौगढ़......जिला गुना म.प्र.

द्वारा:–वनपरिक्षेत्राधिकारी......राघौगढ़......

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक ......4797/08......दिनांक......19-11-12......द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया । आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड......राघौगढ़......के प्रकोष्ठ क्रमांक......P-678......में 0.400......हे.वनभूमी पर अनाधिकृ तरुप से कब्जा.....795.....किया है/अनाधिकृत रुप से कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म. प्र.राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9/1965 की धारा 80 अ के तहत म.प्र. शासन वनविभाग की अधिसूचना क्रमांक/5322/X/67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये,मैं वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल,गुना आपको सूचित करता हूँ , कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वन भूमी पर अनाधिकृत कब्जा करने/बनाये रखने हेतू क्यों न :–

(1) आपके विरुद्ध बेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।

(2) वन भूमी पर अनादिकृ त रुप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति/खडी की गई फसल अधिग्रहण कर ली जावे ।

(3) वन भूमी पर अनाधिकृ त रुप से खडी फसल ,मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमी को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर,वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यो का खर्च आपसे भा.व.अ.1927(म. प्र.राज्य संशोधन अधिनियम 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें ।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीहटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

(हस्ताक्षर)

वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमंडल,गुना (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 4709

गुना, दिनांक/ 2.2.13

प्रतिलिपि

(1) वनपरिक्षेत्राधिकारी......रा.घौगढ़......की ओर उसके पत्र क्रमांक......2803......दि......14/12/12......से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक......4797/08......दि......19-11-12......के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री......कमलसिंह......पुत्र श्री......धीरू......को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ।अतिक्रामक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें । यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रामक द्वारा अपना अतिक्रमण नही हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नही दिया जाता है तो उसके विरुद्ध बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही प्रस्तावित करें । (संलग्न नोटिस –दो प्रति में)

(2) उप वनमंडलाधिकारी गुना/बीनागंज/चमौरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू ।

नोटिस मेरे द्वारा करवाया
सुरक्षित हेड
वन रक्षक
बीट ...

(हस्ताक्षर)

वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमंडल,गुना (म.प्र.)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, गुना म.प्र.

क्रमांक/मा.चि./ **नोटिस** गुना, दिनांक

श्री...... मूलसिंह ......पुत्र श्री...... प्रथ्वी ......

जाति...... वनपारदी ......निवासी ग्राम...... पठारीखड्डा ......तहसील...... राघौगढ़ ......जिला गुना म.प्र.

द्वारा:–वनपरिक्षेत्राधिकारी...... राघौगढ़ ......

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 4795/20 दिनांक 17-11-12 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड...... उत्तर राघौगढ़ ......के प्रकोष्ठ क्रमांक...... P-678 ......में 1-800......हे.वनभूमी पर अनाधिकृ तरुप से कब्जा...... 694 ......किया है/अनाधिकृत रुप से कब्जा बनाये रखा है।

अत: भारतीय वन अधिनियम 1927 (म. प्र.राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9/1965 की धारा 80 अ के तहत म.प्र. शासन वनविभाग की अधिसूचना क्रमांक/5322/X/67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वन भूमी पर अनाधिकृत कब्जा करने/बनाये रखने हेतू क्यों न :–

(1) आपके विरुद्ध बेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।

(2) वन भूमी पर अनादिकृ त रुप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति/खडी की गई फसल अधिग्रहण कर ली जावे।

(3) वन भूमी पर अनाधिकृ त रुप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमी को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यो का खर्च आपसे भा.व.अ.1927(म. प्र.राज्य संशोधन अधिनियम 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीहटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(हस्ताक्षर)

वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमंडल, गुना (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 4683 गुना, दिनांक/ 2.2.13

प्रतिलिपि

(1) वनपरिक्षेत्राधिकारी...... राघौगढ़ ......की ओर उसके पत्र क्रमांक 2803 दि 17/12/12 से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 4795/20 दि 17-11-12 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री...... मूलसिंह ......पुत्र श्री...... प्रथ्वी ......को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रामक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रामक द्वारा अपना अतिक्रमण नही हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नही दिया जाता है तो उसके विरुद्ध बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही प्रस्तावित करें। (संलग्न नोटिस –दो प्रति में)

(2) उप वनमंडलाधिकारी गुना/बीनागंज/बमौरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू।

नोटिस मेरे द्वारा तामील करवाया

(हस्ताक्षर)

वन रक्षक

बीट पगारा

(हस्ताक्षर)

वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमंडल, गुना (म.प्र.)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, गुना म.प्र.

क्रमांक/मा.चि./ **नोटिस** गुना, दिनांक

श्री.....श्रीमती हजारी.....पुत्र श्री.....स्व. तीराम.....

जाति.....पंवार.....निवासी ग्राम करोदीवाला टपरा.....तहसील.....राघोगढ़.....जिला गुना म.प्र.

द्वारा:-वनपरिक्षेत्राधिकारी.....राघोगढ़.....

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 1797/09....दिनांक 13-11-12.....द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड उत्तर राघोगढ़.....के प्रकोष्ठ क्रमांक.....P-678.....में 0.250...हे.वनभूमी पर अनाधिकृतरुप से कब्जा.....किया है/अनाधिकृत रुप से कब्जा बनाये रखा है।

अत: भारतीय वन अधिनियम 1927 (म. प्र.राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9/1965 की धारा 80 अ के तहत म.प्र. शासन वनविभाग की अधिसूचना क्रमांक/5322/X/67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वन भूमी पर अनाधिकृत कब्जा करने/बनाये रखने हेतू क्यों न :-

(1) आपके विरुद्ध वेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।

(2) वन भूमी पर अनादिकृत रुप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति/खडी की गई फसल अधिग्रहण कर ली जावे।

(3) वन भूमी पर अनाधिकृत रुप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमी को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यो का खर्च आपसे भा.व.अ.1927(म. प्र.राज्य संशोधन अधिनियम 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीहटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(हस्ताक्षर)
वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल, गुना (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 4710 गुना, दिनांक/ 2-2-13

प्रतिलिपि

(1) वनपरिक्षेत्राधिकारी.....राघोगढ़.....की ओर उसके पत्र क्रमांक 2803 दि. 17/12/12 से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 1797/09 दि. 13-11-12 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री.....हजारी.....पुत्र श्री.....स्व. तीराम.....को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रामक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रामक द्वारा अपना अतिक्रमण नही हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नही दिया जाता है तो उसके विरुद्ध बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही प्रस्तावित करें। (संलग्न नोटिस -दो प्रति में)

(2) उप वनमंडलाधिकारी गुना/बीनागंज/बमौरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू।

(हस्ताक्षर)

नोटिस मेरे द्वारा भेजा गया
(हस्ताक्षर)
[illegible]
बीट प्रभारी

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल, गुना (म.प्र.)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, गुना म.प्र.

क्रमांक/मा.चि./ **नोटिस** गुना, दिनांक

श्री......लालसिंह......पुत्र श्री......सरदारसिंह......

जाति......बन्जारा......निवासी ग्राम......पड़ागड्डा......तहसील......राघोगढ़......जिला गुना म.प्र.

द्वारा:–वनपरिक्षेत्राधिकारी......राघोगढ़......

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 4797/03 दिनांक 18-11-12 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया । आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड......[illegible] (राघोगढ़)......के प्रकोष्ठ क्रमांक P-678 में D-500 हे.वनभूमि पर अनाधिकृ तरुप से कब्जा 694 किया है/अनाधिकृत रुप से कब्जा बनाये रखा है।

अत: भारतीय वन अधिनियम 1927 (म.प्र.राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9/1965 की धारा 80 अ के तहत म.प्र. शासन वनविभाग की अधिसूचना क्रमांक/5322/X/67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वन भूमी पर अनाधिकृत कब्जा करने/बनाये रखने हेतू क्यों न :–

(1) आपके विरुद्ध बेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।

(2) वन भूमी पर अनादिकृ त रुप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति/खडी की गई फसल अधिग्रहण कर ली जावे ।

(3) वन भूमी पर अनाधिकृ त रुप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमी को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यो का खर्च आपसे भा.व.अ.1927(म.प्र.राज्य संशोधन अधिनियम 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें ।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीहटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल, गुना (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/मा.चि./4699 गुना, दिनांक/ 2-2-13

प्रतिलिपि

(1) वनपरिक्षेत्राधिकारी......रा.घोगढ़......की ओर उसके पत्र क्रमांक 2003 दि. 14/12/12 से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 4797/03 दि. 18-11-12 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री......लालसिंह......पुत्र श्री......सरदारसिंह......को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।अतिक्रामक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें । यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रामक द्वारा अपना अतिक्रमण नही हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नही दिया जाता है तो उसके विरुद्ध बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही प्रस्तावित करें । (संलग्न नोटिस –दो प्रति में)

(2) उप वनमंडलाधिकारी गुना/बीनागंज/बमौरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू ।

नोटिस मेरे द्वारा चस्पा कर्या
सुरक्षाकर्मी
वनरक्षक
बीट पमारा

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल, गुना (म.प्र.)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, गुना म.प्र.

क्रमांक/मा.चि./ **नोटिस** गुना, दिनांक

श्री....इन्दर सिंह....पुत्र श्री....मांगीलाल....

जाति....पंजारा....निवासी ग्राम....[illegible]....तहसील....राघोगढ़....जिला गुना म.प्र.

द्वारा:—वनपरिक्षेत्राधिकारी....राघोगढ़....

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 4797/04 दिनांक 18-11-12 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड [illegible] राघोगढ़ के प्रकोष्ठ क्रमांक P-678 में 1.000 हे.वनभूमी पर अनाधिकृ तरुप से कब्जा 6 वर्ष किया है/अनाधिकृत रुप से कब्जा बनाये रखा है।

अत: भारतीय वन अधिनियम 1927 (म. प्र.राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9/1965 की धारा 80 अ के तहत म.प्र. शासन वनविभाग की अधिसूचना क्रमांक/5322/X/67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, गुना आपको सूचित करता हूं, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वन भूमी पर अनाधिकृत कब्जा करने/बनाये रखने हेतू क्यों न :-

(1) आपके विरुद्ध बेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।

(2) वन भूमी पर अनादिकृ त रुप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति/खडी की गई फसल अधिग्रहण कर ली जावे।

(3) वन भूमी पर अनाधिकृ त रुप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमी को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यो का खर्च आपसे भा.व.अ.1927(म. प्र.राज्य संशोधन अधिनियम 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीहटाया गया अथवा कोई प्रस्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(हस्ताक्षर)
वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल, गुना (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/मा.चि./4701 गुना, दिनांक/ 2-2-13

प्रतिलिपि

(1) वनपरिक्षेत्राधिकारी....राघोगढ़....की ओर उसके पत्र क्रमांक 2803 दि. 17/12/12 से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 4797/04 दि. 18-11-12 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री....इन्दर सिंह....पुत्र श्री....मांगीलाल....को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रामक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रामक द्वारा अपना अतिक्रमण नही हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नही दिया जाता है तो उसके विरुद्ध बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही प्रस्तावित करें। (संलग्न नोटिस —दो प्रति में)

(2) उप वनमंडलाधिकारी गुना/बीनागंज/बमौरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू।

नोटिस मेरे द्वारा प्राप्त किया
इन्दर सिंह
[illegible]
पंजारा

(हस्ताक्षर)
वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल, गुना (म.प्र.)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, गुना म.प्र.

क्रमांक/मा.चि./ **नोटिस** गुना, दिनांक

श्री........रामप्रसाद..........पुत्र श्री.....गुलाबसिंह.........
जाति.......भील.......निवासी ग्राम.........तहसील..राघौगढ़..जिला गुना म.प्र.
द्वारा:–वनपरिक्षेत्राधिकारी.........राघौगढ़.........

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 121/11........दिनांक 30-10-12........द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड........के प्रकोष्ठ क्रमांक...P.678........में 0.500....हे.वनभूमी पर अनाधिकृ तरुप से कब्जा 7 वर्ष...किया है/अनाधिकृत रुप से कब्जा बनाये रखा है।

अत: भारतीय वन अधिनियम 1927 (म. प्र.राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9/1965 की धारा 80 अ के तहत म.प्र. शासन वनविभाग की अधिसूचना क्रमांक/5322/X/67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वन भूमी पर अनाधिकृत कब्जा करने/बनाये रखने हेतू क्यों न :–

(1) आपके विरुद्ध बेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।

(2) वन भूमी पर अनादिकृ त रुप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति/खडी की गई फसल अधिग्रहण कर ली जावे।

(3) वन भूमी पर अनाधिकृ त रुप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमी को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यो का खर्च आपसे भा.व.अ.1927(म. प्र.राज्य संशोधन अधिनियम 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीहटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल, गुना (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 4615 गुना, दिनांक/ 1.2.13

प्रतिलिपि

(1) वनपरिक्षेत्राधिकारी....राघौगढ़........की ओर उसके पत्र क्रमांक 2803...दि 17/12/12 से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 125/11...दि.30-10-12...के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री....रामप्रसाद..............पुत्र श्री.....गुलाबसिंह.....को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रामक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रामक द्वारा अपना अतिक्रमण नही हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नही दिया जाता है तो उसके विरुद्ध बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही प्रस्तावित करें। (संलग्न नोटिस –दो प्रति में)

(2) उप वनमंडलाधिकारी गुना/बीनागंज/बमौरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू।

नोटिस मेरे द्वारा भराया गया।

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल, गुना (म.प्र.)

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

क्रमांक /मा.चि. / 1992 गुना , दिनांक 31.10.2023

नोटिस

श्री मेघराज पि० दीपा बंजारा निवासी खैराना तहसील राघोगढ़ जिला गुना

द्वारा :– वन परिक्षेत्राधिकारी राघोगढ़

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना कमांक 34/30 दिनांक 25/9/23 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड राघोगढ़ उत्तर के प्रकोष्ठ कमांक P 678 में 0.007 हे. वनभूमि पर अनाधिकृत रुप से कब्जा किया है / अनाधिकृत कब्जा बनाये रखा है। (750 वर्ग फिट)

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म.प्र. राज्य संशोधन अधिनियम कमांक 9 /1965) की धारा 80 'अ' के तहत म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना कमांक / 5322/ ग / 67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वनभूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने/बनाये रखने हेतु क्यों न :–

(1) आपके विरुद्व वेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।

(2) वनभूमि पर अनाधिकृत रुप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति/खडी की गई फसल अधिहरण कर ली जावें।

(3) वन भूमि पर अनाधिकृत रुप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमि को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यो का खर्च भा.व.अ. 1927 (म.प्र. राज्य संशो. अधि. 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(मुहर: वन परिक्षेत्र ... 99 09.11.2023)

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

पृ.कमांक / मा.चि./1993 गुना, दिनांक /31.10.2023

प्रतिलिपिः–

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी राघोगढ़ की ओर उनके पत्र कमांक 1431 दि 10/10/23 से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना कमांक 34/30 दि 25/9/23 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री मेघराज पि० दीपा बंजारा नि० खैराना तह० राघोगढ़ जिला गुना को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रामक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रामक द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्व बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही करें। (संलग्न नोटिस– दो प्रति में)
2. उप वनमण्डलाधिकारी गुना /बमोरी/ बीनागंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

बेदखली नोटिस में आवश्यक कार्यवाही मेरे द्वारा की गई
महेश शर्मा व०र०
बीट ...

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

C:\Users\FARUKH\Desktop\Indian Forest Act,Section 80-A Eviction Notice and Order format.doc

20/11/23 महेश शर्मा

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

क्रमांक /मा.चि. / 1994 गुना , दिनांक 9.11.2023

नोटिस

श्री पप्पू पुत्र श्री मांगीलाल जाति बंजारा
निवासी ग्राम धौराखा तहसील राघौगढ़ जिला गुना (म.प्र.)
द्वारा :– वन परिक्षेत्राधिकारी राघौगढ़

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/29 दिनांक 24.9.23 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड उत्तर राघौगढ़ के प्रकोष्ठ क्रमांक P 678 में 0.400 हे. वनभूमि पर अनाधिकृत रुप से कब्जा किया है / अनाधिकृत कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म.प्र. राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9 /1965) की धारा 80 'अ' के तहत म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 5322/ X / 67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वनभूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने /बनाये रखने हेतु क्यों न :–

(1) आपके विरुद्व वेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।

(2) वनभूमि पर अनाधिकृत रुप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति / खडी की गई फसल अधिहरण कर ली जावें।

(3) वन भूमि पर अनाधिकृत रुप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमि को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यो का खर्च भा.व.अ. 1927 (म.प्र. राज्य संशो. अधि. 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(स्टाम्प: वन परिक्षेत्र अधिकारी ... आ.क्र. 993 / 9.11.2023 ... वनमण्डल गुना)

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

पृ.क्रमांक / मा.चि./ 1995 गुना, दिनांक / 9.11.2023

प्रतिलिपिः–

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी राघौगढ़ की ओर उनके पत्र क्रमांक .... दि........ से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/29 दि 24.9.23 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री पप्पू बंजारा पुत्र श्री मांगीलाल बंजारा को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रामक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रामक द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्व बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही करें। (संलग्न नोटिस-- दो प्रति में)

2. उप वनमण्डलाधिकारी गुना /बमोरी/ बीनागंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

बेदखली नोटिस प्राप्त कर आवश्यक तामील मेरे द्वारा की गई

नोटिस प्राप्त किया ... 20/11/23

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

क्रमांक /मा.चि. / 1998 गुना , दिनांक 9.11.2023

नोटिस

श्री श्यामा पुत्र श्री जिया जाति बेलदार
निवासी ग्राम दोराना तहसील राघोगढ़ जिला गुना (म.प्र.)
द्वारा :– वन परिक्षेत्राधिकारी राघोगढ़

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना कमांक 34/29 दिनांक 24.9.23 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड उत्तर राघोगढ़ के प्रकोष्ठ कमांक P 678 में 0.400 हे. वनभूमि पर अनाधिकृत रुप से कब्जा किया है / अनाधिकृत कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म.प्र. राज्य संशोधन अधिनियम कमांक 9 /1965) की धारा 80 'अ' के तहत म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना कमांक / 5322/ X / 67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वनभूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने /बनाये रखने हेतु क्यों न :-

(1) आपके विरुद्व वेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।

(2) वनभूमि पर अनाधिकृत रुप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति / खडी की गई फसल अधिहरण कर ली जावें।

(3) वन भूमि पर अनाधिकृत रुप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमि को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यो का खर्च भा.व.अ. 1927 (म.प्र. राज्य संशो. अधि. 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आ.क्र. 994
9.11.2023

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

पृ.कमांक / मा.चि./ 1999 गुना, दिनांक / 9.11.2023

प्रतिलिपिः–

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी राघोगढ़ की ओर उनके पत्र कमांक .... दि........ से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना कमांक 34/29 दि 24.9.23 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री श्यामा बेलदार पुत्र श्री जिया बेलदार को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रामक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रामक द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्व बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही करें। (संलग्न नोटिस-- दो प्रति में)

2. उप वनमण्डलाधिकारी गुना /चमोरी/ बीनागंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

बेदखली नोटिस के आवश्यक प्रति कैरे द्वारा की गयी
महेश शर्मा वन. बीट प्रभारी

नोटिस की एक प्रति प्राप्त किया
महेश शर्मा 20/11/23

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

क्रमांक /मा.चि. / 1998 गुना , दिनांक 9.11.2023

नोटिस

श्री मेघराज पुत्र श्री गिज्जा जाति बंजारा
निवासी ग्राम धोराना तहसील राघौगढ़ जिला गुना (म.प्र.)

द्वारा :– वन परिक्षेत्राधिकारी राघौगढ़

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/29 दिनांक 24.9.23 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड उत्तर राघौगढ़ के प्रकोष्ठ क्रमांक P678 में 0.400 हे. वनभूमि पर अनाधिकृत रुप से कब्जा किया है / अनाधिकृत कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म.प्र. राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9 /1965) की धारा 80 'अ' के तहत म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 5322/ X / 67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वनभूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने /बनाये रखने हेतु क्यों न :–

(1) आपके विरुद्व वेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।

(2) वनभूमि पर अनाधिकृत रुप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति / खडी की गई फसल अधिहरण कर ली जावें।

(3) वन भूमि पर अनाधिकृत रुप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमि को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यो का खर्च भा.व.अ. 1927 (म.प्र. राज्य संशो. अधि. 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

पृ.क्रमांक / मा.चि./ 1999 गुना, दिनांक / 9.11.2023

प्रतिलिपिः–

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी राघौगढ़ की ओर उनके पत्र क्रमांक .... दि........ से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/29 दि 24.9.23 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री मेघराज बंजारा पुत्र श्री गिज्जा बंजारा को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रामक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रामक द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्व बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही करें। (संलग्न नोटिस-- दो प्रति में)

2. उप वनमण्डलाधिकारी गुना /बमोरी/ बीनागंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

बेदखली नोटिस प्रस्ताव के आवश्यक प्रति भेजे
द्वारा भी गई

नोटिस 02 प्रति
प्राप्त की

मेघराज बंजारा
वी. पंजारा

20/11/23

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

कमांक /मा.चि. / 2000

गुना , दिनांक 9.11.2023

नोटिस

श्री कजोड़ पुत्र श्री धर्मा बंजारा जाति बंजारा

निवासी ग्राम पोरवा तहसील राघौगढ़ जिला गुना (म.प्र.)

द्वारा :- वन परिक्षेत्राधिकारी राघौगढ़

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना कमांक 34/29 दिनांक 24.9.23 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड उत्तर राघौगढ़ के प्रकोष्ठ कमांक P678 में 0.400 हे. वनभूमि पर अनाधिकृत रुप से कब्जा किया है / अनाधिकृत कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म.प्र. राज्य संशोधन अधिनियम कमांक 9 / 1965) की धारा 80 'अ' के तहत म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना कमांक / 5322/ X / 67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, में वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वनभूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने /बनाये रखने हेतु क्यों न :-

(1) आपके विरुद्व वेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।

(2) वनभूमि पर अनाधिकृत रुप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति / खडी की गई फसल अधिहरण कर ली जावें।

(3) वन भूमि पर अनाधिकृत रुप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमि को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यो का खर्च भा.व.अ. 1927 (म.प्र. राज्य संशो. अधि. 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

996
9.11.2023

पृ.कमांक / मा.चि./ 2001

गुना, दिनांक / 9.11.2023

प्रतिलिपिः-

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी राघौगढ़ की ओर उनके पत्र कमांक............ दि............ से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना कमांक 34/29 दि 24.9.23 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री कजोड़ बंजारा पुत्र श्री धर्मा बंजारा को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रामक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रामक द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्व बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही करें। (संलग्न नोटिस-- दो प्रति में)

2. उप वनमण्डलाधिकारी गुना /बमोरी/ बीनागंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

बेदखली नोटिस प्रदाय कर आवश्यक पूर्ति करें
द्वारा बीओ

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

महेश [illegible]

नोटिस प्राप्त
20/11/23

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

क्रमांक /मा.चि. /2002

गुना , दिनांक 9.11.2023

नोटिस

श्री देवीसिंह पुत्र श्री मांगीलाल जाति बंजारा
निवासी ग्राम हरोरा तहसील राघौगढ़ जिला गुना (म.प्र.)

द्वारा :- वन परिक्षेत्राधिकारी राघौगढ़

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/29 दिनांक 24.9.23 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड उत्तर राघौगढ़ के प्रकोष्ठ क्रमांक P678 में 0.400 हे. वनभूमि पर अनाधिकृत रुप से कब्जा किया है / अनाधिकृत कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म.प्र. राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9 /1965) की धारा 80 'अ' के तहत म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 5322/ X / 67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, में वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वनभूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने /बनाये रखने हेतु क्यों न :-

(1) आपके विरुद्व वेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।

(2) वनभूमि पर अनाधिकृत रुप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति / खडी की गई फसल अधिहरण कर ली जावें।

(3) वन भूमि पर अनाधिकृत रुप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमि को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यो का खर्च भा.व.अ. 1927 (म.प्र. राज्य संशो. अधि. 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

997
9.11.2023

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

पृ.क्रमांक / मा.चि./ 2003

गुना, दिनांक / 9.11.2023

प्रतिलिपि:-

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी राघौगढ़ की ओर उनके पत्र क्रमांक.......... दि.......... से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/29 दि 24.9.23 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री देवीसिंह बंजारा पुत्र श्री मांगीलाल बंजारा को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रामक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रामक द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्व बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही करें। (संलग्न नोटिस- दो प्रति में)

2. उप वनमण्डलाधिकारी गुना /बमोरी/ बीनागंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

वेदखली नोटिस प्रस्ताव में आवश्यक पूर्ति मेरे द्वारा की गई।

नोटिस 02 प्रति

महेश शर्मा व.र. बीलाखेड़ा

महेश शर्मा व.र. 20/11/23

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

वनकक्ष कमांक पी–678 में शेष अतिक्रमणकर्ताओ की सर्वे रिर्पोट जिसमें वनअपराध पंजीबद्ध करने एवं धारा 80अ के तहत नोटिस जारी करने की कार्यवाही प्रचलित है।

क्र.	अतिकामक का नाम	पिता का नाम	जाति	अतिकमित स्थल का स्थानीय नाम	अतिकमित भूमि का क्षेत्रफल हे. में
1	देवीसिंह	सरदार	बंजारा	बडा गड्डा दौराना	2.000
2	घासी	प्रथी	बंजारा	बडा गड्डा दौराना	2.000
3	अर्जुन	अमर सिंह	बंजारा	बडा गड्डा दौराना	1.200
4	विनोद	हजारी	बंजारा	बडा गड्डा दौराना	0.450
5	धूरेलाल	धर्मा	बंजारा	करोदा पठार	0.500
6	फूल सिंह	करण सिंह	बंजारा	करोदा पठार	0.100
	जगदीश	फूल सिंह	बंजारा	करोदा पठार	0.150
	चैनसिंह	फूल सिंह	बंजारा	करोदा पठार	0.100
7	नारायण	दीपा	बंजारा	करोदा पठार	0.270
	विजयसिंह	नारायण	बंजारा	करोदा पठार	0.090
	कमल सिंह	नारायण	बंजारा	करोदा पठार	0.050
	राजू	नारायण	बंजारा	करोदा पठार	0.050
	रमेश	नारायण	बंजारा	करोदा पठार	0.040
8	मांगीलाल	गब्बा	बंजारा	करोदा पठार	0.300
9	चन्द्र प्रकाश	दुर्गालाल	बंजारा	करोदा पठार	0.200
10	घनश्याम	हीरालाल	बंजारा	करोदा पठार	0.140
	हीरालाल	धन्नालाल	बंजारा	करोदा पठार	0.120
11	नंदलाल	कमल सिंह	बंजारा	करोदा पठार	0.100
	जितेन्द्र	कमल सिंह	बंजारा	करोदा पठार	0.120
	रमेश	कमल सिंह	बंजारा	करोदा पठार	0.120
12	घासी	दीपा	बंजारा	करोदा पठार	0.170
	तोफान	घासी	बंजारा	करोदा पठार	0.170
	नाथू	दीपा	बंजारा	करोदा पठार	0.370
13	ग्यारसी	लक्ष्मण	भील	करोदा पठार	0.780
	मोहर सिंह	रामलाल	भील	करोदा पठार	0.500
14	इरशाउद्दीन	सलीमुउद्दीन	मुस्लिम	खैर वाली पठार	1.200
15	मांगीलाल	दीपा	बंजारा	खैर वाली पठार	0.350
	दुर्गा	मांगीलाल	बंजारा	खैर वाली पठार	
	मनीराम	मांगीलाल	बंजारा	खैर वाली पठार	
	चैनसिंह	मांगीलाल	बंजारा	खैर वाली पठार	
	लक्ष्मण	मांगीलाल	बंजारा	करोदा पठार	
	राजू	मांगीलाल	बंजारा	करोदा पठार	
16	मांगीलाल	गब्बा	बंजारा	खैर वाली पठार	0.160
	मुकेश	मांगीलाल	बंजारा	खैर वाली पठार	0.420

17	बापू	दीपा	बंजारा	खैर वाली पठार	0.110
	रमेश	दीपा	बंजारा	खैर वाली पठार	0.220
18	मांगीलाल	मानसिंह	बंजारा	खैर वाली पठार	0.550
	कालू	भाना	बंजारा	खैर वाली पठार	0.250
	उदम	पीरू	बंजारा	खैर वाली पठार	0.350
19	नन्नू	करण सिंह	बंजारा	करण सिंह की पठार	1.200
	गुड्डू	करण सिंह	बंजारा	करण सिंह की पठार	0.800
	बलराम	करण सिंह	बंजारा	करण सिंह की पठार	0.150
	मेघराज	करण सिंह	बंजारा	करण सिंह की पठार	0.170
	धूरेलाल	करण सिंह	बंजारा	करण सिंह की पठार	0.180
20	मांगीलाल		भील	करण सिंह की पठार	0.850
21	फूल सिंह	छोटेलाल	भील	करण सिंह की पठार	0.370
	चैनसिंह	छोटेलाल	भील	करण सिंह की पठार	0.320
	रमेश	छोटेलाल	भील	करण सिंह की पठार	0.350
22	रामबाबू	जालम सिंह	भील	करण सिंह की पठार	0.100
	महेश	जालम सिंह	भील	करण सिंह की पठार	0.050
	रामसिंह	जालम सिंह	भील	करण सिंह की पठार	0.170
23	चैनसिंह	मथुरालाल	भील	करण सिंह की पठार	0.080
	नैनकराम	मथुरालाल	भील	करण सिंह की पठार	0.070
	केशर	रामसिंह	भील	करण सिंह की पठार	0.400
	गजराज	केशर	भील	करण सिंह की पठार	0.070
			योग :–		**19.030**

महेश कुमार शर्मा, वनरक्षक
बीटगार्ड पगारा

सुरेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ, वनपाल
वनपरिक्षेत्र सहायक रूठियाई

08/12/2023

के.सी.अहीर
वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र राघौगढ़, गुना

आर.सी. डामोर
उपवनमण्डल अधिकारी
बीनागंज

2

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

क्रमांक /मा.चि. / 1992 गुना , दिनांक 31.10.2023

नोटिस

श्री मेघराज पि० दीपा बंजारा निवासी सैरावा तहसील राघोगढ़ जिला गुना

द्वारा :– वन परिक्षेत्राधिकारी राघोगढ़

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34130 दिनांक 25/9/23 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड राघोगढ़ उत्तर के प्रकोष्ठ क्रमांक P 678 में 0.0.07 हे. वनभूमि पर अनाधिकृत रुप से कब्जा किया है / अनाधिकृत कब्जा बनाये रखा है। (750 वर्ग फिट)

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म.प्र. राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9 /1965) की धारा 80 'अ' के तहत म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 5322/ ग / 67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, में वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वनभूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने/बनाये रखने हेतु क्यों न :–

(1) आपके विरुद्व वेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।

(2) वनभूमि पर अनाधिकृत रुप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति/खडी की गई फसल अधिहरण कर ली जावें।

(3) वन भूमि पर अनाधिकृत रुप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमि को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यो का खर्च भा.व.अ. 1927 (म.प्र. राज्य संशो. अधि. 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

99 09.11.2023

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

पृ.क्रमांक / मा.चि./1993 गुना, दिनांक /31.10.2023

प्रतिलिपि:–

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी राघोगढ़ की ओर उनके पत्र क्रमांक 1431 दि. 10/10/23 से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34130 दि. 25/9/23 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री मेघराज पि० दीपा बंजारा नि० सैरावा तह० राघोगढ़ जिला गुना को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रामक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रामक द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्व बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही करें। (संलग्न नोटिस– दो प्रति में)

2. उप वनमण्डलाधिकारी गुना /बमोरी/ बीनागंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

बेदखली नोटिस मैं आवश्यक प्रति
मेरे द्वारा ली गई
महेश शर्मा व.र.
[illegible]

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

C:\Users\FARUKH\Desktop\Indian Forest Act,Section 80-A Eviction Notice and Order format.doc

[illegible]
20/11/23 [illegible]

कार्यालय वनपरिक्षेत्र अधिकारी राघौगढ़ (गुना)

E-Mail – rotraghogarh@mp.gov.in, Ph. – 07544-263371

क्रमांक / 1340 दिनांक / 29.09.2023

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत राघौगढ़

विषय :– बीट पगारा अन्तर्गत वनखण्ड राघौगढ़ उत्तर वनकक्ष क्रमांक पी–678 में ग्राम दौराना में हेमा बंजारा पुत्र दीपा बंजारा के ग्रामीण को स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत आवास की निरस्तगी / स्थल परिवर्तन बावत्।

संदर्भ :– 01. बीटगार्ड पगारा श्री महेश कुमार शर्मा, वनरक्षक का आवेदन दिनांक 28.09.2023
02. इस कार्यालयीन पत्र क्रमांक 960 दिनांक 20.07.2022
03. इस कार्यालयीन पत्र क्रमांक 980 दिनांक 22.07.2022

विषयांकित में संदर्भित आवेदन में बीटगार्ड पगारा द्वारा अवगत कराया गया है कि बीट पगारा के वनकक्ष क्रमांक पी–678 में ग्राम दौराना मे हेमा बंजारा पुत्र दीपा बंजारा निवासी दौराना या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत आवास स्वीकृत हुआ है जिसके तहत हितग्राही द्वारा उक्त आवास राजस्व क्षेत्र अथवा उसकी निजी भूमि में न बनाकर वनभूमि कक्ष क्रमांक पी–678 में बनाया जा रहा है। आवास निर्माण का भौगोलिक अंक्षाश देशांतर N- 24° 28' 51.36", E- 77° 11' 37.67" है। अतिक्रमणकारी हितग्राही हेमा बंजारा पुत्र दीपा बंजारा के आवास की प्रथम किस्त जनपद पंचायत राघौगढ़ स्तर से जारी किये जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। संबंधित सचिव / सहायक सचिव को वनक्षेत्र से लगे हुए ग्रामों में आवास की जगह का बीटगार्ड से सत्यापन कराने का अग्रिम निर्देश दिये जाने के बाबजूद भी सचिव / सहायक सचिव ने सत्यापन बीटगार्ड से नही कराया है। और जनपद पंचायत स्तर से प्रधानमंत्री आवास की किश्त भी ज़ारी कर दी गई है। इस तरह बन रहे प्रधानमंत्री आवास की रोकना बीटगार्ड स्तर पर कठिन है तथा वेदखली की कार्यवाही में कानून व्यवस्थ विगडने की स्थिति भी निर्मित होती है। बीटगार्ड पगारा द्वारा उक्त अवैध आवास के संबंध में वन अपराध प्रकरण क्रमांक 34 / 30 दिनांक 25.09.2023 कायम किया गया है। तथा उक्त अवैध आवास के संबंध में ग्राम दौराना के एक व्यक्ति द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार को शिकायत की गई है, जो इस कार्यालय में पृष्ठांकन के रूप में दिनांक 26.09.2023 को

O/C

P.T.O. 46

अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई, तथा उक्त शिकायत माननीय एनजीटी मे भी पृष्ठांकित कर सूचित किया गया है।

इस कार्यालयीन पत्र क्रमांक 960 दिनांक 20.07.2022 तथा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 980 दिनांक 22.07.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से लेख किया गया था कि वनक्षेत्र से लगे हुए ग्रामों में वनभूमि में अवैध रूप से काबिज अतिक्रमणकारी हितग्राहीयों को स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना की Geo-tagging वनभूमि में नही करने तथा स्वीकृत आवास की प्रथम किश्त जारी करने से पूर्व संबंधित बीटगार्ड से आवास भूमि स्थल का सत्यापन करवाया जाये। लेकिन फिर भी इस दिशा में जनपद स्तर पर कोई ध्यान नही दिया जा रहा है। अभी विगत वर्ष अक्टूबर 2022 में विकासखण्ड बमोरी अंतर्गत ग्राम सिमरोद मे ऐसे ही अतिक्रमणकारी हितग्राही द्वारा वनभूमि में अवैध रूप से बनाये गये शासकीय योजना अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास की वेदखली के दौरान कानून व्यवस्था विगडने की स्थिति निर्मित हुई थी।

अतः लेख है कि उक्त स्थल पर निर्मित किये जाने वाले आवास को उक्त जगह से निरस्त कर स्थल परिवर्तन करने एवं विषयांकित वर्तमान जगह पर बने आवास की आगामी किश्तों की राशि रोकने की कार्यवाही एवं जारी किश्त राशि की वसूली करने का कष्ट करे, तथा भविष्य में आवास की किश्त जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत के सचिव/सहायक सचिव/सरपंच से संयुक्त रूप से वहा के वनविभाग के संबंधित बीटगार्ड/परिक्षेत्र सहायक द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लेने का कष्ट करे। ऐसी पुनरावृति होने पर तथा ऐसे निर्मित आवास की वेदखली की स्थिति में कानून व्यवस्था विगडने पर पंचायत विभाग के संबंधित कर्मचारी/अधिकारी जवाबदेह होगें। तथा ऐसे संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 (1)ग तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। तथा यदि यह प्रकरण एनजीटी मे दर्ज होता है तो इसके दूरगामी परिणामों हेतु संबंधित पंचायत के कर्मचारी/अधिकारी जवाबदेह होगें।

संलग्न :– बीटगार्ड पगारा का आवेदन दिनांक 28.09.2023

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र राघौगढ़, गुना

पृष्ठा. क्रमांक /1341 0/0 दिनांक / 29.09.2023

प्रतिलिपि :–

01. श्रीमान कलेक्टर महोदय, गुना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
02. श्रीमान वनमण्डल अधिकारी महोदय, वनमण्डल गुना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
03. श्रीमान अनुविभागीय दण्डाधिकारी महोदय, राजस्व राघौगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
04. श्रीमान उपवनमण्डल अधिकारी महोदय, उप वनमण्डल बीनागंज की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र राघौगढ़, गुना

47

प्रति,
श्रीमान वनपरिक्षेत्र अधिकारी महो.
वन परिक्षेत्र राघौगढ़

विषय: बीट पगारा अन्तर्गत वनकक्ष क्र P678 में ग्राम डोराना के ग्रामीणों को स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास की निरस्तगी / स्थल परिवर्तन बावत् ।

महोदय,
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बीट पगारा के वनकक्ष क्र P678 में एक प्रधानमंत्री आवास अतिक्रमण कर वनभूमि पर बनाया जा रहा है। उक्त आवास ग्राम डोराना निवासी हेमा बंजारा पुत्र दीपा बंजारा द्वारा बनाया जा रहा है जिसकी प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत स्वीकृति पंचायत सचिव डोराना के माध्यम से जनपद पंचायत राघौगढ़ से मिलने की जानकारी प्राप्त हुई है। चूंकि उक्त आवास ग्राम के आबादी क्षेत्र से दूर वनक्षेत्र मे बनाया जा रहा है एवं संबंधित सचिव द्वारा बीटगार्ड से बिना कोई सत्यापन कराए उक्त आवास अतिक्रमण कर बनाया जा रहा है एवं शासकीय योजना अन्तर्गत किस्त प्राप्त की जा रही है। उक्त आवास वन अतिक्रमण क्षेत्र में होने के मद्देनजर वैधानिक कार्यवाही करते हुए संबंधित के विरुद्ध वनअपराध प्रकरण क्र 34/30 दि. 25.09.23 दर्ज किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त आवास का निर्माण / कि[illegible] रुकवाने तथा स्थल परिवर्तन राजस्व क्षेत्र में कराने की कार्यवाही करें जाकर ग्राम पंचायत सचिव, जनपद पंचायत राघौगढ़ के उपयंत्री, मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध भी उचित कार्यवाही करवाने का कष्ट करें ताकि भविष्य में वन अतिक्रमण ना होने पावे।

वन परिक्षेत्र राघौगढ़
आ.क्र. 871
दि. 28.9.2023
वन मण्डल गुना

निर्माण स्थल के G.P.S
(1) N 24° 28' 51.36"
E 77° 11' 37.67"

महेन्द्र कुमार शर्मा
वनरक्षक
बीट पगारा

कार्यालय वनपरिक्षेत्र अधिकारी राघौगढ़ (गुना)

E-Mail – rotraghogarh@mp.gov.in, *Ph.* – 07544-263371

क्रमांक / 1429 दिनांक / 10.10.2023

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत राघौगढ़

विषय :– बीट पगारा अन्तर्गत वनखण्ड राघौगढ़ उत्तर वनकक्ष क्रमांक पी–678 में ग्राम दौराना में मेघराज पुत्र दीपा बंजारा को स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत आवास की निरस्तगी / स्थल परिवर्तन बावत्।

संदर्भ :– 01. इस कार्यालय का पत्र कमांक 1340 दिनांक 29.09.2023
02. इस कार्यालयीन पत्र कमांक 960 दिनांक 20.07.2022
03. इस कार्यालयीन पत्र कमांक 980 दिनांक 22.07.2022

विषयांकित में संदर्भित पत्र 01 के द्वारा प्रतिवेदन प्रेषित कर लेख किया गया था कि बीट पगारा के वनकक्ष क्रमांक पी–678 में ग्राम दौराना मे हेमा बंजारा पुत्र दीपा बंजारा निवासी दौराना या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत आवास स्वीकृत हुआ है जिसके तहत हितग्राही द्वारा उक्त आवास राजस्व क्षेत्र अथवा उसकी निजी भूमि में न बनाकर वनभूमि कक्ष कमांक पी–678 में बनाया जा रहा है। आवास निर्माण का भौगोलिक अंक्षाश देशांतर N-24º 28' 51.36", E- 77º 11' 37.67" है। बीटगार्ड पगारा द्वारा उक्त अवैध आवास के संबंध में वन अपराध प्रकरण कमांक 34 / 30 दिनांक 25.09.2023 कायम किया गय़ा है। बीटगार्ड पगारा द्वारा पी.ओ.आर. पंजीबद्ध करते समय अतिकमणकारी हितग्राही मौके पर उपलब्ध नही था। उक्त पी.ओ.आर. की परिक्षेत्र सहायक रूठियाई द्वारा विवेचना के दौरान पुनः मौके पर दिनांक 10.10.2023 को जाकर आरोपी अतिकमणकारी की पडताल करने पर मौके पर आरोपी तथा अन्य ग्रामीणजन मिले। ग्रामीणों की उपस्थिति में आरोपी से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मेघराज पुत्र दीपा बंजारा निवासी ग्राम दौराना तहसील राघौगढ़ बताया। परिक्षेत्र सहायक रूठियाई से प्राप्त प्रतिवेदन मय पंचनामा दिनांक 10.10.2023 की छायाप्रति संलग्न है। अतः संदर्भित पत्र 01 से प्रेषित प्रतिवेदन में अतिकमणकारी हेमा बंजारा पुत्र दीपा बंजारा की जगह मेघराज पुत्र दीपा बंजारा मानकर प्रतिवेदन अनुसार कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें।

संलग्न :– प.स.रूठियाई से प्राप्त प्रतिवेदन
मय पंचनामा दिनांक 10.10.2023

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र राघौगढ़, गुना

पृष्ठा. क्रमांक / 1430 O/C दिनांक / 10.10.2023

प्रतिलिपि :–

01. श्रीमान कलेक्टर महोदय, गुना की ओर इस कार्यालय के पृष्ठां. कमांक 1341 दिनांक 29.09.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
02. श्रीमान वनमण्डल अधिकारी महोदय, वनमण्डल गुना की ओर इस कार्यालय के पृष्ठां. कमांक 1341 दिनांक 29.09.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
संलग्न – उपरोक्तानुसार
03. श्रीमान अनुविभागीय दण्डाधिकारी महोदय, राजस्व राघौगढ़ की ओर इस कार्यालय के पृष्ठां. कमांक 1341 दिनांक 29.09.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
04. श्रीमान उपवनमण्डल अधिकारी महोदय, उप वनमण्डल बीनागंज की ओर इस कार्यालय के पृष्ठां. कमांक 1341 दिनांक 29.09.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ सादर प्रेषित।

वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र राघौगढ़, गुना

54

प्रति,

श्रीमान वनपरिक्षेत्र अधिकारी महोदय,
वन परिक्षेत्र राघोगढ़

विषय: POR क्र 34/30 दि 25.9.23 R.C.No 52/2023
में संशोधन करने बावत्।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विचारांकित POR की जांच हेतु ग्राम गोराखा पहुँचे एवं POR में दर्ज स्थान पर निर्माण किए जा रहे प्रधानमंत्री आवास पर हेमा s/o दीपा बंजारा को तलाश किया। मौके स्थान पर उक्त नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला। आवास पर मेघराज S/o दीपा बंजारा मिला जिसने बताया कि यह आवास उसके नाम पर स्वीकृत हुआ और उसके द्वारा ही निर्माण कराया जा रहा है। चूंकि पूर्व में बीट गार्ड द्वारा दर्ज POR प्रकरण क्र 34/30 दि 25.9.23 में चरवाहों से पूछकर हेमा S/o दीपा बंजारा दर्ज किया था। उक्त नाम के स्थान पर POR प्रकरण में मेघराज S/o दीपा बंजारा दर्ज करने की कृपा करें। जांच पंचनामा उचित कार्यवाही हेतु संलग्न उचित है।

वन परिक्षेत्र राघोगढ़
आ.क्र. 902
दि. 10.10.2023
वन मण्डल गुना

संलग्न: पंचनामा दि 10.10.23

Dwhi
द्वारा

एस.पी. व.क्षे.अ.
प.व रुठियाई

पंचनामा

हम नीचे हस्ताक्षर नि.क्र. करने वाले पंचगण गवाह पंचनामा तहरीर करवा देते है कि आज दिनांक 10.10.23 को पास रविनाई स्वराज [illegible] PDR क्र 34/30 दि 25.9.23 R.C.No 52/2023 में दर्ज वनअपराध के मौका स्थल जांच हेतु आए तो मौका स्थल पर मेघराज s/o दीपा बंजारा उद्यानमंत्री आवास योजना अंतर्गत बनाई जा रही कुटी के पास मिला। उनके साथ अन्य ग्रामीण भी मिले। मौका स्थल पर पाया कि निर्माण किया जा रहा आवास मेघराज s/o दीपा बंजारा नि. डोरोना द्वारा बनाया जा रहा है। मौका स्थल पर उक्त व्यक्ति को आगे कोई भी निर्माण नहीं करने को कहा गया। साथ ही निर्माण की जा रही कुटीर पर छत नहीं डालने को कहा गया। मौका स्थल जांच पंचनामा हम पंचों के समक्ष लिखा गया। बाद पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर किए।

[illegible]
एस.पी. [illegible]
[illegible]

नि.क्र. मेघराज बंजारा

फूलसिंह
(फूलसिंह s/o करणसिंह बंजारा)

नि.क्र. नारायण सिंह s/o दीपा बंजारा

[illegible]
वनरक्षक दूदवास

नि.क्र. धाली s/o दीपा बंजारा

[illegible]
[illegible]

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, गुना म.प्र.

Annexure - 8

क्रमांक/मा.चि./ गुना, दिनांक

नोटिस

श्री......इन्दर सिंह......पुत्र श्री......मांगीलाल......

जाति......बंजारा......निवासी ग्राम......[illegible]......तहसील......राघौगढ़......जिला गुना म.प्र.

द्वारा:–वनपरिक्षेत्राधिकारी......राघौगढ़......

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 4797/04 ...दिनांक 18-11-12 ......द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया । आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड......उत्तर राघौगढ़......के प्रकोष्ठ क्रमांक......P - 678......में ...1.000...हे.वनभूमी पर अनाधिकृ तरुप से कब्जा..[illegible]..किया है/अनाधिकृत रुप से कब्जा वनाये रखा है।

अत: भारतीय वन अधिनियम 1927 (म. प्र.राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9/1965 की धारा 80 अ के तहत म.प्र. शासन वनविभाग की अधिसूचना क्रमांक/5322/X/67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये,मैं वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल,गुना आपको सूचित करता हूं , कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण वतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वन भूमी पर अनाधिकृत कब्जा करने/वनाये रखने हेतू क्यों न :–

(1) आपके विरुद्ध वेदखली आदेश पारित कर वेदखली की कार्यवाही की जावे।

(2) वन भूमी पर अनादिकृ त रुप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति/खडी की गई फसल अधिग्रहण कर ली जावे ।

(3) वन भूमी पर अनाधिकृ त रुप से खडी फसल ,मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमी को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर,वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यो का खर्च आपसे भा.व.अ.1927(म. प्र.राज्य संशोधन अधिनियम 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें ।

यदि आपके द्वारा इस कारण वताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीहटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल,गुना (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/मा.चि./4701 गुना, दिनांक/ 2-2-13

प्रतिलिपि

(1) वनपरिक्षेत्राधिकारी......राघौगढ़......की ओर उसके पत्र क्रमांक 2803 दि. 17/12/12 से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 4797/04 दि. 18-11-12 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री......इन्दर सिंह......पुत्र श्री......मांगीलाल......को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ।अतिक्रामक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें । यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रामक द्वारा अपना अतिक्रमण नही हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नही दिया जाता है तो उसके विरुद्ध वेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही प्रस्तावित करें । (संलग्न नोटिस –दो प्रति में)

(2) उप वनमंडलाधिकारी गुना/बीनागंज/बमौरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू ।

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल,गुना (म.प्र.)

नोटिस मेरे द्वारा प्राप्त [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
10-12-12

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

कमांक /मा.चि. /2004

गुना , दिनांक 28.11.2023

नोटिस

श्री विजय सिंह पुत्र श्री पृथ्वी जाति बंजारा
निवासी ग्राम गोरा तहसील राघोगढ़ जिला गुना (म.प्र.)
द्वारा :- वन परिक्षेत्राधिकारी राघोगढ़

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना कमांक 34/31 दिनांक 03/11/23 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड उत्तर राघोगढ़ के प्रकोष्ठ कमांक P678 में 1.000 हे. वनभूमि पर अनाधिकृत रुप से कब्जा किया है / अनाधिकृत कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म.प्र. राज्य संशोधन अधिनियम कमांक 9 /1965) की धारा 80 'अ' के तहत म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना कमांक / 5322/ X / 67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना आपको सूचित करता हूँ कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वनभूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने /बनाये रखने हेतु क्यों न :-

(1) आपके विरुद्व वेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।

(2) वनभूमि पर अनाधिकृत रुप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति / खडी की गई फसल अधिहरण कर ली जावें।

(3) वन भूमि पर अनाधिकृत रुप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमि को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यो का खर्च भा.व.अ. 1927 (म.प्र. राज्य संशो. अधि. 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

पृ.कमांक / मा.चि./2005

गुना, दिनांक / 30.11.2023

प्रतिलिपिः-

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी राघोगढ़ की ओर उनके पत्र क्रमांक .... दि .... से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना कमांक 34/31 दि 03/11/23 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री विजय सिंह पुत्र श्री पृथ्वी बंजारा को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रामक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रामक द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्व बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही करें। (संलग्न नोटिस- दो प्रति में)

2. उप वनमण्डलाधिकारी गुना /बमोरी/ बीनागंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, गुना म.प्र.

क्रमांक/मा.चि./ **नोटिस** गुना, दिनांक

श्री............विजय सिंह............पुत्र श्री........पूर्वी..........................

जाति.......भिलाला.......निवासी ग्राम..बड़ी ओडपी......तहसील....राघोगढ़.......जिला गुना म.प्र.

द्वारा:–वनपरिक्षेत्राधिकारी.........राघोगढ़...................

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 4795/22...दिनांक..17-11-12.......द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड.....राघोगढ़.......के प्रकोष्ठ क्रमांक....P-678.....में 1.000...हे.वनभूमी पर अनाधिकृतरुप से कब्जा...648..किया है/अनाधिकृत रुप से कब्जा बनाये रखा है।

अत: भारतीय वन अधिनियम 1927 (म. प्र.राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9/1965 की धारा 80 अ के तहत म.प्र. शासन वनविभाग की अधिसूचना क्रमांक/5322/X/67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये,मैं वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल,गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वन भूमी पर अनाधिकृत कब्जा करने/बनाये रखने हेतू क्यों न :–

(1) आपके विरुद्ध बेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।

(2) वन भूमी पर अनादिकृत रुप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति/खडी की गई फसल अधिग्रहण कर ली जावे।

(3) वन भूमी पर अनाधिकृत रुप से खडी फसल ,मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमी को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर,वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यो का खर्च आपसे भा.व.अ.1927(म. प्र.राज्य संशोधन अधिनियम 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीहटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(हस्ताक्षर)
वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल,गुना (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 4687 गुना, दिनांक/ 2.2.13

प्रतिलिपि

(1) वनपरिक्षेत्राधिकारी......राघोगढ़........की ओर उसके पत्र क्रमांक.2803......दि.17/12/12.......से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक.4795/22.दि.17-11-12.........के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री.........विजय सिंह..................पुत्र श्री..........पूर्वी...............को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।अतिक्रामक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रामक द्वारा अपना अतिक्रमण नही हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नही दिया जाता है तो उसके विरुद्ध बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही प्रस्तावित करें। (संलग्न नोटिस –दो प्रति में)

(2) उप वनमंडलाधिकारी गुना/बीनागंज/बमौरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू।

नोटिस मेरे द्वारा प्राप्त किया
सुरक्षित
वन रक्षक
वीर पठार

(हस्ताक्षर)
वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल,गुना (म.प्र.)

वनकक्ष कमांक पी–678 में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकारपत्र धारको की सूची।

क्र.	वनाधिकारधारी का नाम	जाति	वनाधिकार कोड कमांक	रकबा हें. मे
01	बलराम / रतनलाल	भील	170601483001	0.226
02	जगन्नाथ / रामसिंह	भील	149921900005	0.429
03	कैलाश / प्रभुलाल	सहरिया	149921900008	0.075
04	मदनलाल / रामसिंह	भील	149921900037	0.1138
05	मोहनसिंह / भवरलाल	भील	149922000001	0.5083
06	चम्पालाल / मोहनलाल	भील	149922000002	0.8981
07	रामबाबू / नाथूसिंह	भील	149922000003	0.4173
08	भरोसा / मोहरसिंह	भील	149922000008	0.876
			योग :–	**3.5435**

MB
महेश कुमार शर्मा, वनरक्षक
बीटगार्ड पगारा

Dushi
सुरेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ, वनपाल
वनपरिक्षेत्र सहायक रूठियाई

08/12/2023
के.सी.अहीर
वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र राघौगढ़, गुना

आर.सी. डामोर
उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्ड बीनागंज

Annexure - 10

(10)

P.001

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 में अधिसूचित निजी भूमियों की सूची

864

वन मण्डल का नाम :– गुना

अ.क्र.	तहसील का नाम	वन परिक्षेत्र का नाम	वनखण्ड का नाम	वन व्यवस्थापन प्रकरण क्र. एवं दिनांक	भूमि स्वामी का नाम	उसके वर्तमान वारिस का नाम	भूमि स्वामी की जाति (आदिवासी / हरिजन / अन्य)	भूमि स्वामी के ग्राम का नाम	अधिसूचित निजी भूमि का विवरण – खसरा क्र. पुराना	खसरा क्र. नया	रकबा (हेक्ट.)	वनोपज का विवरण	मुआवजा भुगतान की अद्यतन स्थिति – भूमि	वनोपज
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	राघौग.	राघौगढ	डोंगर	–	राजाराम / लालाराम एवं अन्य	शासकीय भूमि		पाड़रखेड़ी	5/2 To 5/10	/2 To 5/1	4.246	पडत	नहीं	नहीं
2				–	बैजनाथ / पन्ना चिढार	शासकीय भूमि		विजयपुर	855	855	349.576 24.436	पड़त	नहीं	नहीं
3	राघौगढ़	राघौगढ	भैंसाना	–	रतनसिंह राजपूत /	भगरलाल पुत्र लल्लीराम	अन्य	अहीरखेड़ी	118	118	0.805	कृषि	नहीं	नहीं
4			बालाभेंट	–	नारानसिह /	मुकुटसिंह पुत्र भमरसिंह वगैरह	अन्य	बालाभेंट	13	13	0.146	कृषि	नहीं	नहीं
5				–	नारानसिह /	नरेंद्रसिंह पुत्र मदनसिंह, बगैरह	अन्य		14	14	0.387	कृषि	नहीं	नहीं
6				–	पंचा / देवलाल	रामप्रसाद, रामचरण, प्रेमनारायण पुत्रगण पंचा	अन्य		15/2	15/2	0.920	कृषि	नहीं	नहीं
7				–	जगनालाल /	जगनालाल पुत्र जगन्नाथ, बगैरह	अन्य	कोटरा	62/75	62/75	0.251	कृषि	नहीं	नहीं

उप वनमंडल अधिकारी राघौगढ़ (गुना)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8				–	पुनिया / गोपाल	बापूलाल पुत्र मिश्रीलाल, वगैरह	अन्य		67/2	67/2	1.799	कृषि	नहीं	नहीं
9	राघौगढ	राघौगढ	उत्तर राघौगढ	–	भँवरलाल / मोतीलाल	किशनलाल / मूलचंद	अन्य	कस्बा राघौगढ	775	775	2.091	कृषि	नहीं	नहीं
10				–	अहमदशाह /	शरीफ अहमद पुत्र अजीज अहमद, शराफत अली पुत्र अजीमुल्ला	अन्य		776	776	0.209	कृषि	नहीं	नहीं
11				–	अमरा /	शासकीय भूमि		ढाय	21	21	1.464	पड़त	नहीं	नहीं
12				–	जालिमसिह / राम	शासकीय भूमि			22	22	0.753	पड़त	नहीं	नहीं
13				–	इमरत / दंगलसिह	हजरतसिंह, इमरतसिंह, लक्ष्मीबाई पत्नी भानूप्रताप, बादलसिंह, नारायणसिंह पुत्रगण लालसिंह	अन्य	पुरेनी	60	60	0.010	कृषि	नहीं	नही
14				–	इमरत / दंगलसिह	शिमलाबाई बैबा हरनामसिंह, जगदीश, श्यामबाबू, शिवराज पुत्रगण हरनामसिंह	अन्य		44	44	0.878	कृषि	नहीं	नहीं
15				–	अमरलाल / दीपलाल	प्रमबाई बवा, भमर लाल, तैजसिंह, सूरतसिंह, दौलत राम, किशन, अन्नी, मंगल, पुत्रगण भमरलाल	अन्य	खातीवाडा	14	14	0.230	कृषि	नहो	नहीं
16				–	किशनलाल / मोतीलाल	इन्दरसिह पुत्र बलदेवसिंह	अन्य	नादनेर	3	3	0.837	कृषि	नहो	नहीं
17				–	सरस्वती /	कैलाश, रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ	अन्य		6	6	0.857	कृषि	नही	नही
18				–	हजारी,मिश्री,वालमुकुन्द /	सुगनचंद, ज्ञानीचंद, धनकुमार पुत्र मिश्री लाल, सुशीलाबाई, लक्ष्मीबाई, विमलाबाई, पिस्ताबाई पुत्री मिश्रीलाल	अन्य		20	20	0.523	कृषि	नही	नहीं
19				–	नारानसिह / प्यारेलाल	कस्तरीबाई पत्नी नारायणसिंह, रामभरोसा पुत्र नारायणसिंह, कैलाश, रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ	अन्य		25	25	0.690	कृषि	नही	नहीं

865

(गुना)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20				–	घासी लाल , भँवर/भवानी	नाला शासकीय	–		231	231	2.050		नहीं	नहीं
21				–	नत्थू/परमा	नन्नूलाल पुत्र नथूआ	हरिजन		22/1	22/1	2.405	कृषि	नहीं	नहीं
22				–	राजभान/	अजय कुमार पुत्र राजमल,	अन्य		110	110	3.974	कृषि	नहीं	नहीं
23				–	शशिराम/नारान	शासकीय नम्बर	–	बन्दरगढ़ा	28	28	2.091	–	नहीं	नहीं
24				–	बुद्धा/शिवलाल	आरती पुत्री अमरचंद	आदिवासी	ईसाटोढ़ा	18	18	0.669	कृषि	नहीं	नहीं
25				–	बलभद्रसिह/बहादुर सिह	राजा साहब दिग्विजयसिंह, जक्षमण सिंह पुत्र बलभद्रसिंह, ललित कुमारी, लक्ष्मी कुमारी पुत्री बलभद्रसिंह	अन्य	कुदैया	2	2	32.511	कृषि	नहीं	नहीं
26				–	बलभद्रसिह/बहादुर सिह	राजा साहब दिग्विजयसिंह, जक्षमण सिंह पुत्र बलभद्रसिंह, ललित कुमारी, लक्ष्मी कुमारी पुत्री बलभद्रसिंह, भवानी पुत्र	अन्य		8	8	20.140	कृषि	नहीं	नहीं
27				–	बलभद्रसिह/बहादुर सिह	राजा साहब दिग्विजयसिंह, जक्षमण सिंह पुत्र बलभद्रसिंह, ललित कुमारी, लक्ष्मी कुमारी पुत्री बलभद्रसिंह	अन्य		11	11	0.031	कृषि	नहीं	नहीं
28				–	खेमचन्द/पन्नालाल	शासकीय भूमि			16	16	0.314	जंगल	नहीं	नहीं
29				–	बी एस सदर/	शासकीय भूमि			17	17	1.757	जंगल	नहीं	नहीं
30				–	बलभद्रसिह/बहादुर सिह	राजा साहब दिग्विजयसिंह, जक्षमण सिंह पुत्र बलभद्रसिंह, ललित कुमारी, लक्ष्मी कुमारी पुत्री बलभद्रसिंह	अन्य		20	20	0.010	कृषि	नहीं	नहीं
31				–	बलभद्रसिह/बहादुर सिह	राजा साहब दिग्विजयसिंह, जक्षमण सिंह पुत्र बलभद्रसिंह, ललित कुमारी, लक्ष्मी कुमारी पुत्री बलभद्रसिंह	अन्य		22	22	0.209	कृषि	नहीं	नहीं

266

उप जिलेदार अधिकारी शामगढ़ (गुना)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32				–	बलभद्रसिंह / बहादुर सिंह	राजा साहब दिग्विजयसिंह, लक्ष्मण सिंह पुत्र बलभद्रसिंह, ललित कुमारी, लक्ष्मी कुमारी पुत्री बलभद्रसिंह	अन्य		24	24	0.220	कृषि	नहीं	नहीं
33				–	कदीम /	शासकीय भूमि			7	7	5.751	पडत	नहीं	नहीं
34				–	कदीम /	शासकीय भूमि			21	21	0.439	पडत	नहीं	नहीं
35				–	हजारी / मिश्रीलाल	सुगनचंद, ज्ञानचंद, पवनकुमार पुत्र मिश्री लाल, सुशीलाबाई, लक्ष्मीबाई, विमलाबाई, पिस्ताबाई पुत्री मिश्रीलाल	अन्य	मलियाटोड़ी	2	2	1.882	कृषि	नहीं	नहीं
36				–	किशोरा / भग्गा	प्रभुलाल पुत्र भेरोलाल	अन्य		81	81	0.471	कृषि	नहीं	नहीं
37				–	नाथूलाल / किशनलाल	इरसाद उद्दीन पुत्र शेख सलेम उद्दीन	अन्य	अनन्दपुर	2	2	0.241	कृषि	नहीं	नहीं
38				–	बी. एस. सदर /	इरसाद उद्दीन पुत्र शेख सलेम उद्दीन	अन्य		3	3	0.209	कृषि	नहीं	नहीं
39				–	नाथूलाल /	मांगीबाई पत्नी मिश्रीलाल	अन्य		5	5	0.209	कृषि	नहीं	नहीं
40				–	छुट्टीलाल / ऊँकार	शांतीबाई पत्नी रमेशचंद	अन्य		9	9	0.910	कृषि	नहीं	नहीं
41				–	भागचन्द / देवबख्श	रामप्रसाद पुत्र प्रभूलाल	अन्य		16	16	0.241	कृषि	नहीं	नहीं
42				–	छुट्टीलाल / ऊँकार	शांतीबाई पत्नी रमेशचंद	अन्य		18	18	2.008	कृषि	नहीं	नहीं
43				–	प्रभुलाल / देवबख्श	प्रभुलाल पुत्र देवबख्श	अन्य		21	21	1.046	कृषि	नहीं	नहीं

उप खण्ड अधिकारी
खानपुर (मुख्य)

P.005

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44				–	प्रेमनारान / गिरधारी	विजयसिंह , अजीतसिंह पुत्र प्रेमनारायण, गायत्रीबाई, कातांबाई पत्रीयां प्रेमनारायण	अन्य		22	22	1.108	कृषि	नहीं	नहीं
45				–	हजारी / गिरधारी	विजयसिंह , अजीतसिंह पुत्र प्रेमनारायण,	अन्य		23	23	0.418	कृषि	नहीं	नहीं
46				–	नाथूलाल / महोदा	दुर्गालाल पुत्र भबुतिराम, ओमप्रकाश . रतनसिंह, शिवराजसिहं पुत्रगण दुर्गालाल	अन्य		26	26	1.244	कृषि	नहीं	नहीं
47				–	नाथूलाल /	दुर्गालाल पुत्र भबुतिराम	अन्य		28	28	0.920	कृषि	नहीं	नहीं
48				–	हजारी / किशन	द्रोपति पत्नी रामसिंह.	अन्य		29	29	0.136	कृषि	नहीं	नहीं
49				–	बी. एस. सदर /	द्रोपति पत्नी रामसिंह	अन्य		30	30	0.565	कृषि	नहीं	नहीं
50				–	हजारी लाल / किशनलाल	द्रोपति पत्नी रामसिंह.	अन्य		33	33	1.171	कृषि	नहीं	नहीं
51				–	प्रेमनारान / गिरधारी	रामसिंह पुत्र गोरेलाल	अन्य		35	35	0.774	कृषि	नहीं	नहीं
52				–	किशनलाल / गोपाल	मूलचंद पुत्र खुस्सीलाल, भमर लाल, माधोलाल पुत्र गोतीलाल	अन्य		36	36	1.903	कृषि	नहीं	नहीं
53				–	प्रभु / देवा	बाबूलाल पुत्र दुलीचंद	अन्य		39	39	0.680	कृषि	नहीं	नहीं
54				–	लक्ष्मी चंद / देववख्श	रतन लाल पुत्र भूरेलाल	अन्य		40	40	0.356	कृषि	नहीं	नहीं
55				–	नाथूलाल /	जानकी बाई पत्नी बाबूलाल, ममताबाई पत्नी अशोक कुमार	अन्य		10	10	0.199	कृषि	नहीं	नहीं

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56				–	कदीम/	शासकीय भूमि, प्रेमबाई पत्नी अमरचंद, मूलचंद पुत्र खुस्सीलाल, हुकमचंद पुत्र किशनलाल, कल्लीबाई पत्नी	अन्य		19	19	21.280	कृषि	नहीं	नहीं
57				–	हजारीलाल/	द्रोपति पत्नी रामसिंह	अन्य		32	32	0.261	कृषि	नहीं	नहीं
58				–	भागचन्द/	रामप्रसाद पुत्र प्रभूलाल	अन्य		42	42	0.544	कृषि	नहीं	नहीं
59				–	नंदराम/रतनलाल	मार्गीलाल, गेंदालाल,बाबूलाल पुत्रगण गन्धर्मसिंह, सीताबाई बैबा गन्धर्मसिंह	अन्य	पुरैना	17	17	0.293	कृषि	नहीं	नहीं
60				–	गजराजसिह/	हजरतसिंह, गजराजसिंह	अन्य		18	18	0.272	कृषि	नहीं	नहीं
61				–	देवलाल/प्रेमनारान	मथुरालाल बगैरह	अन्य		158	158	0.052	कृषि	नहीं	नहीं
62				–	नारानसिह/	हरिसिंह, बगैरह	अन्य		199	199	0.073	कृषि	नहीं	नहीं
63				–	देवलाल/पन्ना	सग्रामसिंह	अन्य		231	231	0.983	कृषि	नहीं	नहीं
64				–	मानसिह/भॅवरलाल	रूपसिंह, देशराज पुत्रगण जगन्नाथ किरार	अन्य	दुहावद	5	5	0.105	कृषि	नहीं	नहीं
65				–	पन्ना लाल/शिवलाल	कमरलाल, गनशराम, तोफानसिंह पुत्रगण पन्नालाल, शांतीबाई, दयालबाई, विरोंजीबाई पुत्रीयां	अन्य		16	16	0.073	कृषि	नहीं	नहीं
66				–	महाराजसिह/	रामगोपाल पुत्र पमरनसिंह, सहोदरा बाई पुत्री रामगोपाल पत्नी पप्पू, राजाराम पुत्र अमरसिंह	अन्य		216	216	3.785	कृषि	नहीं	नहीं
67				–	कन्हैया लाल/	रामचरण पुत्र पूरनसिंह	अन्य		158	158	2.217	कृषि	नहीं	नहीं

उप पंजीयक अधिकारी
राघौगढ़ (गुना)

वनखण्ड राघौगढ़ उत्तर अन्तर्गत वनकक्ष कमांक पी–678 में राजस्व विभाग द्वारा भारतीय वन अधिनियम की धारा 04 की अधिसूचना जारी होने के उपरांत भी जारी किये गये पट्टो की जानकारी, जिनके संबंध में उक्त पट्टे परीक्षण कर निरस्त किये जाने हेतु कलेक्टर गुना को लेख किया गया है।

क्रमांक	पट्टेदार	खसरा बटान क्रमांक	रकबा हेक्टेयर
01	महिला करीमनबाई / बेबा अजमेरी खां	24/2	02.0910
02	प्रीति / पप्पू तथा अन्य 03	24/3/1	0.8360
03	गब्बर सिंह / इमरतलाल तथा मोहरसिंह इमरतलाल	24/3/2	1.2540
04	इरशाउद्दीन / सलीमुउद्दीन	24/4	2.0900
05	हुकमचंद / किशनलाल	24/5	2.0910
06	इरशाउद्दीन / सलीमुउद्दीन	24/6/1	2.0900
07	इरशाउद्दीन / सलीमुउद्दीन	24/6/2	1.0450
08	मांगीलाल / जीवनलाल	24/7	2.0910
09	कलाबाई / नारायणसिंह	24/8/2	0.8360
10	शंकर / माधो	24/9	2.0900
11	इरशाउद्दीन / सलीमुउद्दीन	24/11	2.0910
12	इरशाउद्दीन / सलीमुउद्दीन	24/12	3.1350
13	मनीष लोधा / श्यामलाल लोधा तथा अन्य 08	24/15	2.0910
14	इरशाउद्दीन / सलीमुउद्दीन	24/17	2.0900
15	झूमाबाई बेबा बलराम दीवान सिंह, सूरजसिंह, गौरेलाल	24/18/1	1.0450
16	हीरालाल, चिरोजीलाल पुत्रगण भूरेलाल	24/18/2	3.1360
17	मानसिंह,दयालसिंह,घमण्डी,कल्याणसिंह पुत्रगण मांगीलाल, चिरोजीबाई वेवा	24/20	2.0900
18	इरशाउद्दीन / सलीमुउद्दीन	24/23	2.0900
19	राजेन्द्र कुमार / माधोलाल तथा अन्य 07	24/28/2	1.0450
20	संजय सुमन / कैलाश सुमन, कुलदीप / कैलाशचंद सैनी निवासी राघौगढ़	24/31/1	2.3520
21	लालचंद / हजारीलाल सैनी निवासी राघौगढ़	24/31/2	0.7840
22	ऊंकारलाल / सुन्दरलाल सैनी निवासी राघौगढ़	24/32	2.0900
23	वैजनाथ / कालूराम, कमलसिंह धीरजसिंह / मिश्रीलाल केदारबाई वत्तोबाई शीलाबाई विधाबाई पुत्री मिश्रीलाल दौलीबाई पुत्री कालूराम चम्पाबाई पुत्री कालूराम	24/33	3.1350
24	रतनलाल / भूरेंलाल	24/34/2	0.8360
25	करीमनबाई / पीर खां	24/38/1/1	1.7660
26	इकबाल हुसैन खां / अब्दुल खां	24/38/1/2	1.7670
27	महिला करीमनबाई / पीर खां	24/38/1/3	0.0210
28	मदीनाबाई बेवा अब्दुल इकबाल जाकिर शाविर पुत्रगण अब्दुल खां रहीसन बाई संगमाबाई सल्लोबाई नज्जो मीनाबाई सकीनाबाई पुत्रीया अब्दुल खां	24/38/2	1.672
29	ऊंकारीबाई / मोतीलाल	20/2	3.136
30	द्रोपतीबाई / रामसिंह	27/1	4.516
	वनखण्ड राघौगढ़ उत्तर के कक्ष कमांक पी–678 में जारी राजस्व पट्टो का कुल क्षेत्रफल–		**57.402**

महेश कुमार शर्मा, वनरक्षक
बीटगार्ड पगारा

सुरेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ, वनपाल
वनपरिक्षेत्र सहायक रूठियाई

के.सी.अहीर
वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र राघौगढ़, गुना

आर.सी. डामोर
उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्ड बीनागंज

4

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना

क्रमांक/डी.एम./ 9040 गुना, दिनांक 18/10/2023

प्रति,

कलेक्टर
जिला गुना

विषय:- ग्राम अनंदपुर मोईया तहसील राघौगढ़ में संरक्षित वन खण्ड उत्तर राघौगढ़ के अन्तर्गत वन क्षेत्र में दिये गये पट्टे निरस्त करने बाबत् ।

संदर्भ:- उप वन मण्डलाधिकारी बीनागंज का प्रतिवेदन क्रमांक/2023/2039 दिनांक 06–10–23

विषयान्तर्गत, ग्राम अनंदपुर मोइया तहसील राघौगढ़ के सर्वे क्रमांक 24 रकबा 602 वीघा 03 विस्वा (125.933 हेक्टर) संरक्षित वन खण्ड राघौगढ़ में शामिल है, उक्त वनखण्ड म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक /3085–1720–10–66 दिनांक 18–03–66 राजपत्र प्रकाशन दिनांक 13–12–1968 द्वारा भारतीय वन अधिनिमय 1927 की धारा 4(1) के तहत अधिसूचित है। (सर्वे डिमार्केसन रिर्पोट एवं अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न है) उक्त भूमि जब वनखण्ड में शामिल की जाकर, धारा 4(1) के तहत अधिसूचित की गई, उस समय उक्त खसरा पूर्णतः शासकीय भूमि (वीड़ राकड़) के रूप में दर्ज था ।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 5 के अनुसार धारा 4 की अधिसूचना जारी होने के पश्चात अधिसूचना में समाविष्ट किसी भूमि पर कोई नया अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकता है । उप वन मण्डलाधिकारी बीनागंज के प्रतिवेदन (छायाप्रति संलग्न) एवं mpbhulekh.gov.in वेवसाइट के अनुसार उक्त खसरा क्रमांक के विभिन्न बटॉन किये जाकर निम्ननुसार 28 पट्टे रकबा 49.750 हे. के दिये गये हैं, जो कि वनसीमा के अन्दर होकर, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 5 के प्रावधानों के विपरीत हैं ।

क्रमांक	भूस्वामी	खसरा बटान क्रमांक	रकबा हेक्टेयर
		24/2	02.0910
01	महिला करीमनबाई/बेबा अजमेरी खां	24/3/1	0.8360
02	प्रीति/पप्पू तथा अन्य 03	24/3/2	1.2540
03	गब्बर सिंह/इमरतलाल तथा मोहरसिंह इमरतलाल	24/4	2.0900
04	इरशाउद्दीन/सलीमुउद्दीन	24/5	2.0910
05	हुकमचंद / किशनलाल	24/6/1	2.0900
06	इरशाउद्दीन/सलीमुउद्दीन	24/6/2	1.0450
07	इरशाउद्दीन/सलीमुउद्दीन	24/7	2.0910
08	मांगीलाल/जीवनलाल	24/8/2	0.8360
09	कलाबाई/नारायणसिंह	24/9	2.0900
10	शंकर/माधो	24/11	2.0910
11	इरशाउद्दीन/सलीमुउद्दीन	24/12	3.1350
12	इरशाउद्दीन/सलीमुउद्दीन	24/15	2.0910
13	मनीष लोधा/श्यामलाल लोधा तथा अन्य 08	24/17	2.0900
14	इरशाउद्दीन/सलीमुउद्दीन	24/18/1	1.0450
15	झूमाबाई बेबा बलराम दीवान सिंह, सूरजसिंह, गौरेलाल	24/18/2	3.1360
16	हीरालाल, चिरोजीलाल पुत्रगण भूरेलाल	24/20	2.0900
17	मानसिंह,दयालसिंह,घमण्डी,कल्याणसिंह पुत्रगण मांगीलाल,		

	चिरोजीबाई वेवा		
18	इरशाउद्दीन / सलीमुउद्दीन	24/23	2.0900
19	राजेन्द्र कुमार / माधोलाल तथा अन्य 07	24/28/2	1.0450
20	संजय सुमन / कैलाश सुमन, कुलदीप / कैलाशचंद सैनी निवासी राघौगढ़	24/31/1	2.3520
21	लालचंद / हजारीलाल सैनी निवासी राघौगढ़	24/31/2	0.7840
22	ऊंकारलाल / सुन्दरलाल सैनी निवासी राघौगढ़	24/32	2.0900
23	वैजनाथ / कालूराम, कमलसिंह धीरजसिंह / मिश्रीलाल केदारबाई वत्तोबाई शीलाबाई विधाबाई पुत्री मिश्रीलाल दौलीबाई पुत्री कालूराम चम्पाबाई पुत्री कालूराम	24/33	3.1350
24	रतनलाल / भूरेंलाल	24/34/2	0.8360
25	करीमनबाई / पीर खां	24/38/1/1	1.7660
26	इकबाल हुसैन खां / अब्दुल खां	24/38/1/2	1.7670
27	महिला करीमनबाई / पीर खां	24/38/1/3	0.0210
28	मदीनाबाई बेवा अब्दुल इकबाल जाकिर शाविर पुत्रगण अब्दुल खां रहीसन बाई संगमाबाई सल्लोबाई नज्जो मीनाबाई सकीनाबाई पुत्रीया अब्दुल खां	24/38/2	1.672
		योग :–	**49.750**

कृपया वन भूमि पर जारी उक्त पट्टों का परीक्षण कराया जाकर, उन्हें निरस्त कराने का कष्ट करें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल गुना

पृ क्रमांक / डी एम / 9041 गुना , दिनांक 18/10/2023

प्रतिलिपि :– 1. उप वन मण्डलाधिकारी बीनागंज की ओर, आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

2. वन परिक्षेत्राधिकारी राघौगढ़ की ओर संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु , वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण न होने देना सुनिश्चत करें ।

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल गुना

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना

क्रमांक/डी.एम./10397 गुना, दिनांक 15/12/2023

प्रति,

कलेक्टर
जिला गुना

विषय :— माननीय एनजीटी प्रकरण क्रमांक 163/2023 (सेन्ट्रल जोन) से संबंधित ग्राम अनंदपुर मोईया तहसील राघौगढ़ में संरक्षित वन खण्ड उत्तर राघौगढ़ के अन्तर्गत वन क्षेत्र में दिये गये पट्टे निरस्त करने बाबत् ।

संदर्भ :— कार्यालयीन पत्र क्रमांक/डी.एम./ 9040 दिनांक 18—10—23

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा ग्राम अनंदपुर मोइया तहसील राघौगढ़ के सर्वे क्रमांक 24 में स्थित पट्टे वनखण्ड की भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 की अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात के पाये जाने से उनका परीक्षण कराया जाकर निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है । (सुलभ संदर्भ हेतु पूर्व प्रेषित पत्र की छायाप्रति संलग्न है।)

विषयांकित संदर्भ में ग्राम दौराना के शेख निजामुददीन उर्फ गुड्डू दौराना मण्डल उपाध्यक्ष भाजपा द्वारा माननीय एनजीटी को प्रेषित शिकायत के क्रम में वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण एवं अभिलेखों के अवलोकन में माननीय एनजीटी के आदेश में उल्लेखित कक्ष क्रमांक पी 678 ग्राम अनंदपुर के निम्नानुसार खसरा क्रमांकों में भी अधिसूचना के उपरान्त पट्टे जारी होना पाया गया है, (वन परिक्षेत्राधिकारी राघौगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न है) जबकि वनखण्ड की अधिसूचना, जो कि म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक /3085—1720—10—66 दिनांक 18—03—66 राजपत्र प्रकाशन दिनांक 13—12—1968 द्वारा भारतीय वन अधिनिमय 1927 की धारा 4(1) के तहत जारी हुई है, के समय उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज रही है । भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 5 के अनुसार धारा 4 की अधिसूचना जारी होने के पश्चात अधिसूचना में समाविष्ट किसी भूमि पर कोई नया अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकता है ।

क्रमांक	भूस्वामी	खसरा बटान क्रमांक	रकबा हेक्टेयर
01	ऊंकारीबाई/मोतीलाल	20/2	3.136
02	द्रोपतीबाई/रमसिंह	27/1	4.516

कृपया इस कार्यालय के संदर्भित पत्र क्रमांक/डी.एम. 9040 दिनांक 18—10—23 में उल्लेखित पट्टों के साथ—साथ वन भूमि पर जारी उक्त पट्टों का भी परीक्षण कराया जाकर, उन्हें निरस्त कराने का कष्ट करें ।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

15/12/23

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल गुना

पृ.क्रमांक/डी.एम./ 10398 गुना, दिनांक 15/12/23

प्रतिलिपि :— 1. उप वन मण्डलाधिकारी बीनागंज की ओर, आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

2. वन परिक्षेत्राधिकारी राघौगढ की ओर संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण न होने देना सुनिश्चत करें ।

15/12/23

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल गुना

IX-(a)—2
For. Hindi

(भाग पहिला)

मोहक्मा जंगल, मध्यप्रदेश

34

बकुआ जुर्म की अव्वल रिपोर्ट

29

1. नम्बर रिपोर्ट 34/29 तारीख 24 माह 09 सन् 2023

2. मुजरिम का नाम, जाति और सकूनत भामा लोनिया बेजारा एवं अन्य 04 साथी निवासी दौराना

3. किस्म जुर्म भा० व० अ० 1927 की धारा 33 (1) क एवं 31 (1) अ

4. जगह जहां जुर्म वाके हुआ बीट पंजारा कक्ष P-678

5. तारीख बकुआ जुर्म 24/09/2023
मत. वृ 07 घ 420
साग. वृ 05

6. तफसील जप्त शुदा माल और कार्यवाही, जो अमल में लाई गई।
01 चट्टा जलाऊ 2.000 हेक्ट. क्षेत्र में अतिक्रमण

7. नाम गवाहान
① श्री अभिमन्यु सिंह परिक्षेत्र
② मदनलाल ...

दूसरा भाग रेंज असिस्टेन्ट साहब [illegible] सर्किल को भेजा गया

तीसरा भाग रेंज आफिसर साहब [illegible] रेंज को भेजा गया

मुकाम बीट पंजारा

दस्तखत फॉरेस्ट गार्ड

तारीख 24/9/2023 नाका पंजारा

नोट : यह रिपोर्ट जुर्म मालूम होने के 48 घंटे के अंदर बमूजिब पैरा 77 (अ) (3) फारेस्ट मैनुअल भाग 1 के अपने आला आफिसर के पास भेज दी जानी चाहिए।

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

क्रमांक /मा.चि. / 1992 गुना , दिनांक 31.10.2023

नोटिस

श्री मेघराज श्री॰ दीपा बंजारा निवासी कैराना तहसील राघोगढ़ जिला गुना

द्वारा :– वन परिक्षेत्राधिकारी राघोगढ़

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना कमांक 34/30 दिनांक 25/9/23 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड राघोगढ़ उत्तर के प्रकोष्ठ कमांक P 678 में 0.007 हे. (750 वर्ग फिट) वनभूमि पर अनाधिकृत रुप से कब्जा किया है / अनाधिकृत कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म.प्र. राज्य संशोधन अधिनियम कमांक 9 /1965) की धारा 80 'अ' के तहत म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना कमांक / 5322/ ग / 67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, में वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वनभूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने/बनाये रखने हेतु क्यों न :–

(1) आपके विरुद्व वेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।

(2) वनभूमि पर अनाधिकृत रुप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति/खडी की गई फसल अधिहरण कर ली जावें।

(3) वन भूमि पर अनाधिकृत रुप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमि को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यो का खर्च भा.व.अ. 1927 (म.प्र. राज्य संशो. अधि. 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(मुहर: वन परिक्षेत्र ... 991 09.11.2023)

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

पृ.कमांक / मा.चि. /1993 गुना, दिनांक / 31.10.2023

प्रतिलिपिः–

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी राघोगढ़ की ओर उनके पत्र कमांक 1431 दि. 10/10/23 से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना कमांक 34/30 दि. 25/9/23 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री मेघराज श्री॰ दीपा बंजारा नि॰ कैराना तह॰ राघोगढ़ जिला गुना को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रामक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रामक द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्व बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही करें। (संलग्न नोटिस– दो प्रति में)

2. उप वनमण्डलाधिकारी गुना /बमोरी/ बीनागंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

बेदखली नोटिस की आवश्यक प्रति मेरे द्वारा ली गई
महेश शर्मा व.र.
गौ॰ प्रभारी

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

C:\Users\FARUKH\Desktop\Indian Forest Act,Section 80-A Eviction Notice and Order format.doc

20/11/23 महेश शर्मा

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

क्रमांक /मा.चि. / 1994 गुना , दिनांक 9.11.2023

नोटिस

श्री पप्पू पुत्र श्री मांगीलाल जाति बेलदार
निवासी ग्राम दौराया तहसील राघौगढ़ जिला गुना (म.प्र.)
द्वारा :- वन परिक्षेत्राधिकारी राघौगढ़

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/29 दिनांक 24.9.23 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड उत्तर राघौगढ़ के प्रकोष्ठ क्रमांक P 678 में 0.400 हे. वनभूमि पर अनाधिकृत रुप से कब्जा किया है / अनाधिकृत कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म.प्र. राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9 /1965) की धारा 80 'अ' के तहत म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 5322/ X / 67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वनभूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने /बनाये रखने हेतु क्यों न :-

(1) आपके विरुद्व वेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।

(2) वनभूमि पर अनाधिकृत रुप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति / खडी की गई फसल अधिहरण कर ली जावें।

(3) वन भूमि पर अनाधिकृत रुप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमि को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यो का खर्च भा.व.अ. 1927 (म.प्र. राज्य संशो. अधि. 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(वन परिक्षेत्र कार्यालय ... आ.क्र. 993 9.11.23 ... वनमण्डल गुना)

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

पृ.क्रमांक / मा.चि./ 1995 गुना, दिनांक / 9.11.2023

प्रतिलिपिः-

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी राघौगढ़ की ओर उनके पत्र क्रमांक .... दि. .... से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/29 दि 24.9.23 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री पप्पू बेलदार पुत्र श्री मांगीलाल बेलदार को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रामक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रामक द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्व बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही करें। (संलग्न नोटिस- दो प्रति में)

2. उप वनमण्डलाधिकारी गुना /बमोरी/ बीनागंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

बेदखली नोटिस प्राप्त कर आवश्यक तामील मेरे द्वारा की गई
महेश कुमार व.र.

नोटिस प्राप्त किया
महेश ... 20/11/23

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

क्रमांक /मा.चि. / 1998 गुना , दिनांक 9.11.2023

नोटिस

श्री भामा पुत्र श्री जियवा जाति बंजारा
निवासी ग्राम दौराना तहसील राघौगढ़ जिला गुना (म.प्र.)
द्वारा :- वन परिक्षेत्राधिकारी राघौगढ़

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/29 दिनांक 24.9.23 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड उत्तर राघौगढ़ के प्रकोष्ठ क्रमांक P 678 में 0.400 हे. वनभूमि पर अनाधिकृत रुप से कब्जा किया है / अनाधिकृत कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म.प्र. राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9 /1965) की धारा 80 'अ' के तहत म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 5322/ X / 67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वनभूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने /बनाये रखने हेतु क्यों न :-

(1) आपके विरुद्व वेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।

(2) वनभूमि पर अनाधिकृत रुप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति / खडी की गई फसल अधिहरण कर ली जावें।

(3) वन भूमि पर अनाधिकृत रुप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमि को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यों का खर्च भा.व.अ. 1927 (म.प्र. राज्य संशो. अधि. 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(मुहर: आ.क्र. 994 9.11.2023)

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

पृ.क्रमांक / मा.चि./ 1999 गुना, दिनांक / 9.11.2023

प्रतिलिपिः-

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी राघौगढ़ की ओर उनके पत्र क्रमांक .... दि........ से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/29 दि 24.9.23 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री भामा बंजारा पुत्र श्री जियवा बंजारा को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रामक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रामक द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्व बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही करें। (संलग्न नोटिस-- दो प्रति में)

2. उप वनमण्डलाधिकारी गुना /चमोरी/ बीनागंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

बेदखली नोटिस के आवश्यक प्रति के द्वारा की गयी
महेश शर्मा व.र. बीट प्रभारी

नोटिस की एक प्रति प्राप्त
महेश शर्मा
20/11/23

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

क्रमांक /मा.चि. / 1998 गुना , दिनांक 9.11.2023

नोटिस

श्री मेघराज पुत्र श्री गिरधा जाति बंजारा

निवासी ग्राम दोराना तहसील राघौगढ़ जिला गुना (म.प्र.)

द्वारा :– वन परिक्षेत्राधिकारी राघौगढ़

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/29 दिनांक 24.9.23 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड उत्तर राघौगढ़ के प्रकोष्ठ क्रमांक P678 में 0.400 हे. वनभूमि पर अनाधिकृत रुप से कब्जा किया है / अनाधिकृत कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म.प्र. राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9 /1965) की धारा 80 'अ' के तहत म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 5322/ X / 67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये में वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वनभूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने /बनाये रखने हेतु क्यों न :–

(1) आपके विरुद्व वेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।

(2) वनभूमि पर अनाधिकृत रुप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति / खडी की गई फसल अधिहरण कर ली जावें।

(3) वन भूमि पर अनाधिकृत रुप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमि को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यो का खर्च भा.व.अ. 1927 (म.प्र. राज्य संशो. अधि. 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(हस्ताक्षर)
वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

पृ.क्रमांक / मा.चि./ 1999 गुना, दिनांक / 9.11.2023

प्रतिलिपिः–

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी राघौगढ़ की ओर उनके पत्र क्रमांक............दि............से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/29 दि 24.9.23 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री मेघराज बंजारा पुत्र श्री गिरधा बंजारा को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रामक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रामक द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्व बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही करें। (संलग्न नोटिस– दो प्रति में)

2. उप वनमण्डलाधिकारी गुना /चमोरी/ बीनागंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

(हस्ताक्षर)
वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

बेदखली नोटिस प्रस्ताव में आवश्यक पूर्ति हेतु प्रदाय की गई

(हस्ताक्षर) नोटिस 02 प्रति प्राप्त की

(हस्ताक्षर) 20/11/23

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

क्रमांक /मा.चि. / 2000 गुना , दिनांक 9.11.2023

नोटिस

श्री कजोड़ पुत्र श्री धर्मा बंजारा जाति बंजारा
निवासी ग्राम धरनावदा तहसील राघौगढ़ जिला गुना (म.प्र.)
द्वारा :- वन परिक्षेत्राधिकारी राघौगढ़

मेरे समक्ष प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/29 दिनांक 24.9.23 द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। आपने आरक्षित/संरक्षित वनखंड उत्तर राघौगढ़ के प्रकोष्ठ क्रमांक P678 में 0.400 हे. वनभूमि पर अनाधिकृत रुप से कब्जा किया है / अनाधिकृत कब्जा बनाये रखा है।

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 (म.प्र. राज्य संशोधन अधिनियम क्रमांक 9 /1965) की धारा 80 'अ' के तहत म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 5322/ X / 67 दिनांक 14.6.67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना आपको सूचित करता हूँ, कि आप इस सूचना पत्र के मिलने से 15 दिवस के अंदर स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अथवा कारण बतावें कि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वनभूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने /बनाये रखने हेतु क्यों न :-

(1) आपके विरुद्व वेदखली आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।

(2) वनभूमि पर अनाधिकृत रुप से स्थापित की गई समस्त सम्पत्ति / खडी की गई फसल अधिहरण कर ली जावें।

(3) वन भूमि पर अनाधिकृत रुप से खडी फसल, मकान या अन्य निर्माण कार्य को हटाने एवं भूमि को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर, वन लगाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यो का खर्च भा.व.अ. 1927 (म.प्र. राज्य संशो. अधि. 1965) की धारा 82 में उपबंधित रीति से वसूल किया जावें।

यदि आपके द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

996
9.11.2023

पृ.क्रमांक / मा.चि./ 2001 गुना, दिनांक / 9.11.2023

प्रतिलिपिः-

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी राघौगढ़ की ओर उनके पत्र क्रमांक........ दि........ से प्राप्त प्रकरण एवं प्रारंभिक अपराध सूचना क्रमांक 34/29 दि 24.9.33 के संदर्भ में इस सूचना पत्र की एक प्रति श्री कजोड़ बंजारा पुत्र श्री धर्मा बंजारा को वितरण कर संलग्न अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती लेकर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अतिक्रामक द्वारा अतिक्रमण हटा लेने अथवा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अतिक्रामक द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है अथवा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्व बेदखली आदेश जारी करने की कार्यवाही करें। (संलग्न नोटिस- दो प्रति में)

2. उप वनमण्डलाधिकारी गुना /बमोरी/ बीनागंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

बेदखली नोटिस प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रस्तावित गर्जी

महेश आर्य वपा
बीटप्रभारी

नोटिस प्रति प्राप्त
महेश आर्य
20/11/23

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

भारतीय जनता पार्टी मण्डल राघौगढ जिला गुना (म0प्र0)

शेख निजामउददीन (गुड्डू दौराना)
मण्डल उपाध्यक्ष
भाजपा

निवास- ग्राम व पोस्ट दौराना
तह0 राघौगढ जिला गुना (म0प्र0)
मो0 8770577454

Date, ARF
15-12-2023

प्रति
माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण
केन्द्रीय जोनल Branch Bhopal (M.P.)

विषय :- दिनांक 3-10-2023 को आवेदक के द्वारा कि गई शिकायत के सम्बंध में।

श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा दि 3-10-2023 को NGT bhopal को शिकायत कि गई थी ! जिसमें राघौगढ रेंज स्टाफ, तहसीलदार मेडम एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारीयों द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया जिसमें PMAY के कुटीर देखी गई ! पूरा निरिक्षण किया गया ! जिसमें 2 कुएँ पाये गए ! पुराने जूती पूर्व पट्टे में पेड़ काटे गए ! संयुक्त जाँच दल द्वारा 14-12-2023 को पुनः जाँच कि गई है ! मैं संतुष्ट हूँ ! परन्तु Compartment No. 678 के अतिक्रमण हटाकर पेड़ लगाकर जाली लगाई जाये एवं अतिक्रमण के समय जो अधिकारी नियुक्त थे उन अतिक्रमणकारीओं के खिलाफ उचित कार्यवाही करने कि कृपया करें।

Nizam

आवेदक
शेख निजामउद्दीन

प्रति NGT: प्रदूषण बोर्ड Guna !

ARF
15-12-23

अवैध रूप से वन भूमि पर प्रधानमंत्री आवास निर्माण किया गया है।

ग्राम–दौराना के ही भामा बंजारा पुत्र जीया, मेघराज बंजारा पुत्र जीया एवं इनके परिवार ने ग्राम–आंनदपुर (मोईया) में ग्राम–दौराना के मनीष लोधा से जमीन का एग्रीमेंट करके उस जमीन पर कव्वे मकान बनाये गये।

अवैध रूप से वनक्षेत्र में जमीन पर खेती एवं खोदा गया कुंआ।

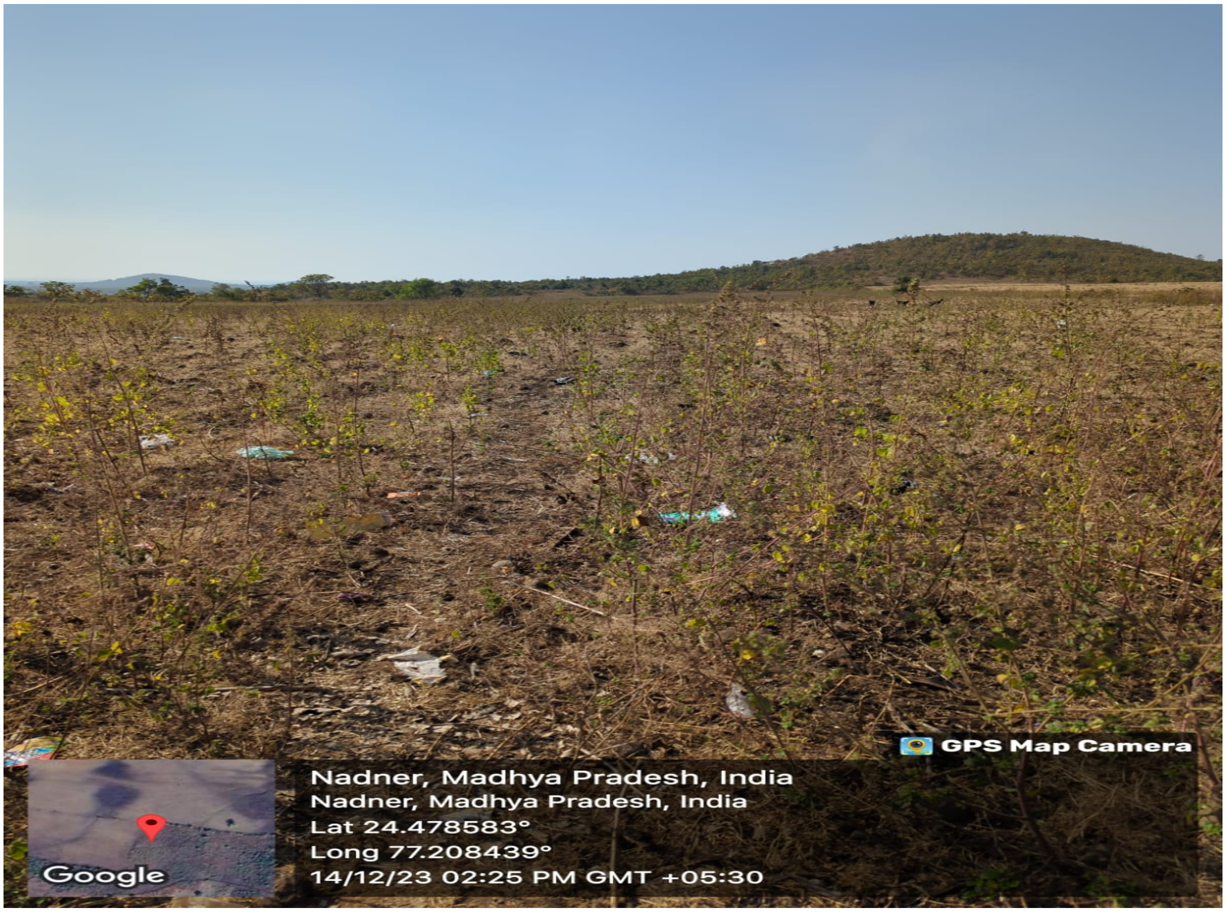

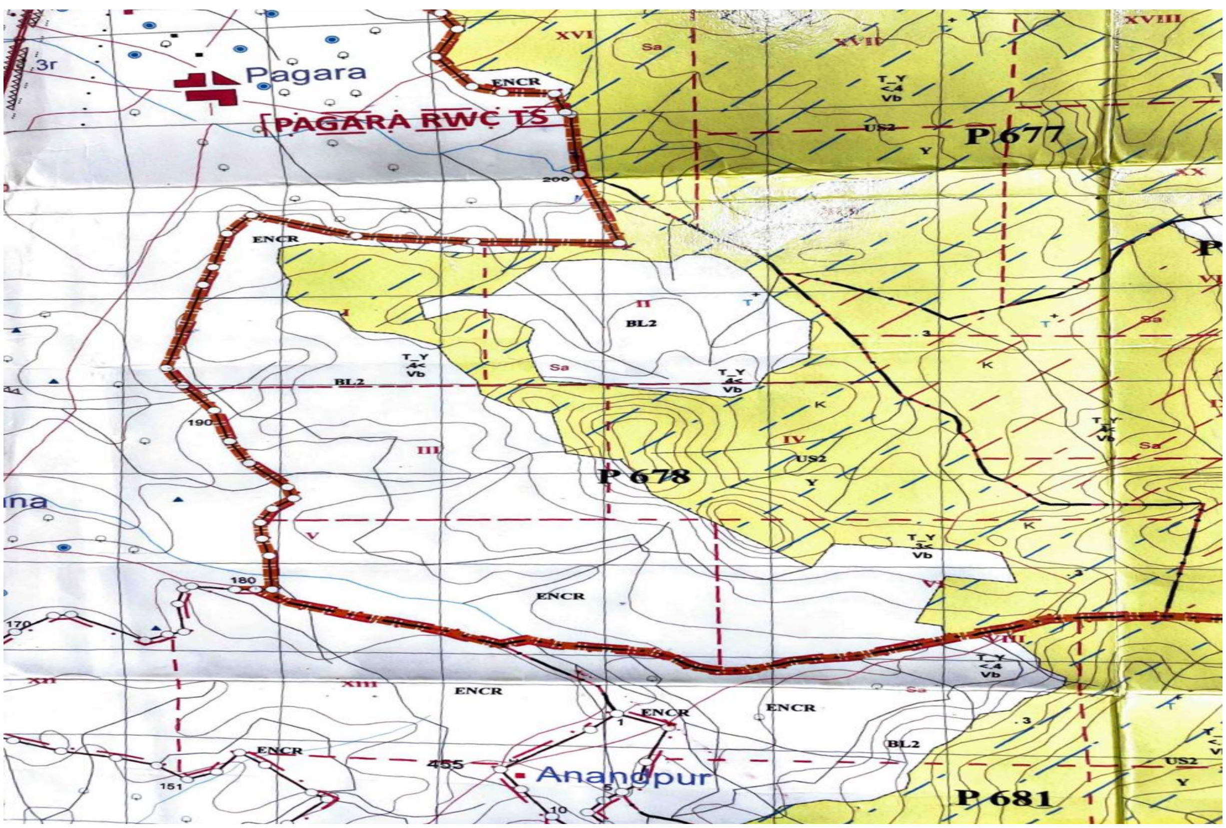

वन कक्ष क्रमांक पी 678 का नक्शा।